सत्यमेव जयते

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के लिए धरोहर उप-विधि

Heritage Bye Laws for Lord Cornwallis Tomb, Ghazipur, Uttar Pradesh

लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के लिए धरोहर उप-विधि

Heritage Bye Laws for Lord Cornwallis Tomb, Ghazipur, Uttar Pradesh

विषय-सूची		
अध्याय I **प्रारंभिक**		
1.1	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1
1.2	परिभाषाएं	2-4
अध्याय II **प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम,1958 की पृष्ठभूमि**		
2.1	अधिनियम की पृष्ठभूमि	5
2.2	धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध	5
2.3	आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां	5-6
अध्याय III **संरक्षित संस्मारक - लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश का स्थान एवं अवस्थिति**		
3.1	संस्मारक का स्थान एवं अवस्थिति	7-8
3.2	संस्मारक की संरक्षित सीमा	8
	3.2.1 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अभिलेख (रिकॉर्ड) के अनुसार अधिसूचना मानचित्र/योजना	8
3.3	संस्मारक का इतिहास	8
3.4	संस्मारक का विवरण (वास्तुकला विशेषताएं, तत्व, सामग्री आदि)	8
3.5	वर्तमान स्थिति	9
	3.5.1 संस्मारक की स्थिति- स्थिति का आकलन	9
	3.5.2 प्रतिदिन एवं कभी-कभार आने वाले आगंतुकों की संख्या	9
अध्याय IV **स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में विद्यमान क्षेत्रीकरण, यदि कोई हो**		
4.1	विद्यमान क्षेत्रीकरण	10
4.2	स्थानीय निकायों के मौजूदा दिशा-निर्देश	10
अध्याय V **प्रथम अनुसूची एवं कुल स्टेशन सर्वेक्षण के अनुसार सूचना**		
5.1	संस्मारक की सर्वेक्षण योजना	11
5.2	सर्वेक्षित आंकड़ो का विश्लेषण	11
	5.2.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण	11-12
	5.2.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण	12
	5.2.3 हरित/खुले स्थानों का विवरण	12
	5.2.4 परिसंचरण के अंतर्गत शामिल क्षेत्र - सड़कें, फुटपाथ, आदि	12
	5.2.5 भवनों की मौजूदा ऊंचाई (क्षेत्रवार)	13
	5.2.6 राज्य संरक्षित संस्मारक और सूचीबद्ध धरोहर भवन	13

	5.2.7 सार्वजनिक सुविधाएं	13
	5.2.8 संस्मारक तक पहुंच	13
	5.2.9 अवसरंचना सेवाएं	13
	5.2.10 स्थानीय निकायों के अनुसार क्षेत्र का प्रस्तावित क्षेत्रीकरण	14
अध्याय VI संस्मारकों का वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व		
6.1	संस्मारक की वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व	15
6.2	संस्मारक की संवेदनशीलता	15
6.3	संरक्षित संस्मारक या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता	15-16
6.4	पहचान किया जाने वाला भूमि उपयोग	16
6.5	संरक्षित संस्मारक के अतिरिक्त पुरातात्विक धरोहर अवशेष	16
6.6	सांस्कृतिक परिदृश्य	16
6.7	महत्वपूर्ण प्राकृतिक भू-दृश्य	16
6.8	खुले स्थान और भवनों का उपयोग	16
6.9	पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियां	16
6.10	संस्मारक और विनियमित क्षेत्रों से दिखाई देने वाला क्षितिज	17
6.11	पारंपरिक वास्तुकला	17
6.12	स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा यथा उपलब्ध विकास योजना	17
6.13	अनुमत भवन संबंधी मापदंड	17
	6.13.1 मरम्मत और नवीनीकरण	17
	6.13.2 पुनर्निर्माण	17-18
	6.13.3 नया निर्माण	17-20
6.14	आगंतुक सुविधाएं और साधन	20
अध्याय VII स्थल विशिष्ट सिफ़ारिशें		
7.1	स्थल विशिष्ट सिफ़ारिशें	21
7.2	अन्य सिफ़ारिशें	21-22

CONTENTS

CHAPTER I Preliminary		
1.1	Short title, Extent and Commencements	23
1.2	Definitions	23-25
CHAPTER II Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958		
2.1	Background of The Act	26
2.2	Provisions of the Act related to Heritage Bye-laws	26
2.3	Rights and Responsibilities of the Applicant	26
CHAPTER III Location and Setting of the Protected Monument – Lord Cornwallis Tomb, Ghazipur, Uttar Pradesh		
3.1	Location and Setting of the Monument	27-28
3.2	Protected boundary of the Monument	28
	3.2.1 Notification Map/ Plan as per ASI records	28
3.3	History of the Monument	28
3.4	Description of the Monument (architectural features, elements, materials etc.)	28
3.5	Current Status	29
	3.5.1 Condition of the Monument - condition assessment	29
	3.5.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers	29
CHAPTER IV Existing Zoning, if any, in the Local Area Development Plans		
4.1	Existing Zoning	30
4.2	Existing Guidelines of the local bodies	30
CHAPTER V Information as per First Schedule and Total Station Survey		
5.1	Survey Plan	31
5.2	Analysis of surveyed data	31
	5.2.1 Prohibited Area and Regulated Area details	31
	5.2.2 Description of built up area	31-32
	5.2.3 Description of green/open spaces	32
	5.2.4 Area covered under circulation- roads, footpaths etc	32
	5.2.5 Existing Heights of buildings	33
	5.2.6 State protected monument and listed Heritage Building	33
	5.2.7 Public Amenities	33
	5.2.8 Access to the Monument	33
	5.2.9 Infrastructure services	33
	5.2.10 Proposed zoning of the area as per Local Bodies	34

CHAPTER VI **Architectural, Historical and Archaeological Value of the Monuments**		
6.1	Architectural, historical and archaeological value	35
6.2	Sensitivity of the Monument	35
6.3	Visibility from the Protected Monument or area and visibility from Regulated Area	35
6.4	Land-use to be identified	36
6.5	Archaeological heritage remains other than protected monument	36
6.6	Cultural landscapes	36
6.7	Significant natural landscapes	36
6.8	Usage of open space and constructions	36
6.9	Traditional, historical and cultural activities	36
6.10	Skyline as visible from the monument and from Regulated Areas	36
6.11	Traditional architecture	37
6.12	Developmental plan as available by the local authorities	37
6.13	Permissible Building related parameters	37
	6.13.1 Repair and Renovation (in Prohibited and Regulated Area)	37
	6.13.2 Reconstruction	37
	6.13.3 New Construction	38-39
6.14	Visitors facilities and amenities	39
CHAPTER VII **Site Specific Recommendations**		
7.1	Site Specific Recommendations	40
7.2	Other Recommendations	40-41

ANNEXURES		
अनुलग्नक-I Annexure-I	लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश की सर्वेक्षण योजना Survey Plan of Lord Cornwallis Tomb, Ghazipur, Uttar Pradesh	42
अनुलग्नक-II Annexure -II	संस्मारक की अधिसूचना Notification of the Monument	43-45
अनुलग्नक –III Annexure -III	गाजीपुर महायोजना 2001 मानचित्र Ghazipur Master Plan Map 2001	46-47
अनुलग्नक -IV Annexure -IV	संस्मारक – लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा और इसके आसपास के क्षेत्र के चित्र Images of the Monument – Lord Cornwallis Tomb and its surrounding area	48-50

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधि विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम (22) के साथ पठित प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ङ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संरक्षित संस्मारक **लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश** के लिए निम्नलिखित धरोहर उप-विधि जिन्हें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बीएचयू), वाराणसी, उत्तर प्रदेश के परामर्श से सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया है, को राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्य प्रणाली), नियम, 2011 के नियम 18 के उप नियम (2) द्वारा यथा अपेक्षित जनता से आपत्ति या सुझाव आमंत्रित करने के लिए एतद्वारा 12.07.2023 को प्रकाशित किया गया था।

यथा विनिर्दिष्ट दिनांक से पहले प्राप्त आपत्ति/सुझावों पर सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण द्वारा विधिवत विचार किया गया है।

इसलिए, अब प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ङ की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण, निम्नलिखित उप-विधि बनाता है, नामत:

लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के लिए धरोहर उप-विधि

अध्याय I

प्रारंभिक

1.1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:-

(i) इन उप-विधियों को संरक्षित संस्मारक **लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश** के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधि, 2024 कहा जाएगा।

(ii) ये संस्मारक के सम्पूर्ण प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र तक लागू होंगी।

(iii) इन उप-विधियों के प्रावधान किसी भी अन्य उप-विधि में निहित असंगतता के बावजूद प्रभावी होंगे, चाहे इन उप-विधियों के प्रारंभ होने से पहले या बाद में बनाए गए हों, या किसी उप-विधि के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी भी दस्तावेज़ में हों। इन उप-विधियों को किसी अन्य उप-विधि के अनुरूप बनाने के लिए इनमें संशोधन करना अनिवार्य नहीं होगा।

(iv) ये अधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगी।

1.2 परिभाषाएं:-

(1) इन उप-विधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत दिए अनुसार परिभाषाएं सुविधा की दृष्टि से यहां पुन: लिखी गई हैं:-

(क) "प्राचीन संस्मारक" से कोई संरचना, रचना या संस्मारक, या कोई स्तूप या स्थान या दफ़नगाह या कोई गुफा, शैल-मूर्ति, शिला-लेख या एकाश्मक जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक रुचि का है और जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत हैं -

(i) किसी प्राचीन संस्मारक के अवशेष,

(ii) किसी प्राचीन संस्मारक का स्थल,

(iii)किसी प्राचीन संस्मारक के स्थल से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो ऐसे संस्मारक को बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(iv) किसी प्राचीन संस्मारक तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;

(ख) "पुरातत्वीय स्थल और अवशेष" से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के ऐसे भग्नावशेष या अवशेष हैं या जिनके होने का युक्तियुक्त रूप से विश्वास किया जाता है, जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, और इनके अंतर्गत हैं-

(i) उस क्षेत्र से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो उसे बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(ii) उस क्षेत्र तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;

(ग) "अधिनियम" से आशय प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) है;

(घ) "पुरातत्व अधिकारी" से भारत सरकार के पुरातत्व विभाग का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो सहायक अधीक्षण पुरातत्वविद् से निम्नतर पद (श्रेणी) का नहीं है;

(ड.) ''प्राधिकरण'' से अधिनियम की धारा 20च के अधीन गठित राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(च) "सक्षम प्राधिकारी" से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पुरातत्व निदेशक या पुरातत्व आयुक्त की श्रेणी से नीचे न हो या समतुल्य श्रेणी का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो:

बशर्ते कि केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 20ग, 20घ और 20ङ के प्रयोजन के लिए भिन्न भिन्न सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(छ) ''निर्माण'' से किसी संरचना या भवन का कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत उसमें ऊर्ध्वाकार या क्षैतिजीय कोई परिवर्धन या विस्तारण भी है, किन्तु इसके अंतर्गत किसी विद्यमान संरचना या भवन का कोई पुन:निर्माण, मरम्मत और नवीकरण या नालियों और जलनिकास सुविधाओं तथा सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों और इसी प्रकार की सुविधाओं का निर्माण, अनुरक्षण और सफाई या जनता के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था करने के लिए आशयित सुविधाओं का निर्माण और अनुरक्षण या जनता के लिए विद्युत की आपूर्ति और वितरण के लिए निर्माण या अनुरक्षण, विस्तारण, प्रबंध या जनता के लिये इसी प्रकार की सुविधाओं के लिए व्यवस्था शामिल नहीं हैं;

(ज) ''तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.)'' से आशय सभी तलों के कुल आवृत्त क्षेत्र का (पीठिका क्षेत्र) भूखंड (प्लाट) के क्षेत्रफल से भाग करके प्राप्त होने वाले भागफल से अभिप्रेत है;

तल क्षेत्र अनुपात = भूखंड क्षेत्र द्वारा विभाजित सभी तलों का कुल आवृत्त क्षेत्र;

(झ) "सरकार" से आशय भारत सरकार से है;

(ञ) अपने व्याकरणिक रूपों और सजातीय पदों सहित "अनुरक्षण" के अंतर्गत हैं किसी संरक्षित संस्मारक को बाड़ से घेरना, उसे आच्छादित करना, उसकी मरम्मत करना, उसका पुनरूद्धार करना और उसकी सफाई करना, और कोई ऐसा कार्य करना जो किसी संरक्षित संस्मारक के परिरक्षण या उस तक सुविधाजनक पहुंच को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है;

(ट) "स्वामी" के अंतर्गत हैं-

(i) संयुक्त स्वामी जिसमें अपनी ओर से तथा अन्य संयुक्त स्वामियों की ओर से प्रबंध करने की शक्तियॉ निहित हैं और किसी ऐसे स्वामी के हक-उत्तराधिकारी, तथा

(ii) प्रबंध करने की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई प्रबंधक या न्यासी और ऐसे किसी प्रबंधक या न्यासी का पद में उत्तराधिकारी;

(ठ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत है:

(ड) "प्रतिषिद्ध क्षेत्र" से धारा 20क के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ढ़) "संरक्षित क्षेत्र" से कोई ऐसा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(ण) "संरक्षित संस्मारक" से कोई ऐसा प्राचीन संस्मारक अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(त) "विनियमित क्षेत्र" से धारा 20ख के अधीन विनिर्दिष्ट या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(थ) "पुन:निर्माण" से किसी संरचना या भवन का उसकी पूर्व विद्यमान संरचना में ऐसा कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसकी क्षैतिजीय और ऊर्ध्वाकार सीमाएं समान हैं;

(द) "मरम्मत और पुनरुद्धार" से किसी पूर्व विद्यमान संरचना या भवन के परिवर्तन अभिप्रेत हैं, किन्तु इसके अंतर्गत निर्माण या पुन:निर्माण नहीं होंगे।

(2) इसमें प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का आशय वही अर्थ होगा जैसा अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों में समनुदेशित किया गया है।

अध्याय II

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम,1958 की पृष्ठभूमि

2.1 अधिनियम की पृष्ठभूमि:

धरोहर उप-विधियों का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित संस्मारकों की सभी दिशाओं में 300 मीटर के अंदर भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दखल के बारे में मार्गदर्शन देना है। 300 मीटर के क्षेत्र को दो भागों में बॉटा गया है (i) **प्रतिषिद्ध क्षेत्र,** यह क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र अथवा संरक्षित संस्मारक की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में एक सौ मीटर की दूरी तक फैला है और (ii) **विनियमित क्षेत्र,** यह क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में दो सौ मीटर की दूरी तक फैला है।

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र और प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण अथवा खनन का कार्य नहीं कर सकता जबकि ऐसा कोई भवन अथवा संरचना जो प्रतिषिद्ध क्षेत्र में 16 जून,1992 से पूर्व मौजूद था अथवा जिसका निर्माण बाद में महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति से हुआ था, विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना का निर्माण, पुन:निर्माण, मरम्मत अथवा पुनरुद्धार की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से लेना अनिवार्य है।

2.2 धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध:

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ङ और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधियों का विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम 22 में संरक्षित संस्मारकों के लिए उप-विधि बनाना विनिर्दिष्ट है। नियम में धरोहर उप-विधि बनाने के लिए मापदंडों का प्रावधान है। राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें तथा कार्य निष्पादन) नियम, 2011, नियम 18 में प्राधिकरण द्वारा धरोहर उप-विधियों के अनुमोदन की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट है।

2.3 आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां:

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ग में प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत और पुनरुद्धार अथवा विनियमित क्षेत्र में निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आवेदन का ब्यौरा विनिर्दिष्ट है:

(क) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे भवन अथवा संरचना का स्वामी है जो 16 जून, 1992 से पहले प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मौजूद था अथवा जिसका निर्माण इसके उपरांत महानिदेशक के अनुमोदन से हुआ था तथा जो ऐसे भवन अथवा संरचना का किसी प्रकार की मरम्मत अथवा नवीकरण का काम कराना चाहता है तो वह ऐसी मरम्मत और नवीकरण, जैसा भी स्थिति हो, को कराने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ख) कोई व्यक्ति जो किसी विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना अथवा भूमि का स्वामी है और वह ऐसी भूमि पर ऐसे भवन अथवा संरचना अथवा का कोई निर्माण अथवा पुन:निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण जैसी भी स्थिति हो, करना चाहता है तो वह निर्माण अथवा पुन:निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण जैसी भी स्थिति हो, के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ग) सभी संबंधित सूचना प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्य संचालन) नियम, 2011 के अनुपालन की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

अध्याय III

संरक्षित संस्मारक - लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश का स्थान एवं अवस्थिति

3.1 संस्मारक का स्थान एवं अवस्थिति:

संरक्षित संस्मारक - लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में गाजीपुर जिले में स्थित है।

जीपीएस निर्देशांक हैं: 25° 33’31" उत्तरी अक्षांश: 83°32’45’’ पूर्वी देशांतर

गाजीपुर शहर गंगा नदी के किनारे बसा है, जो वाराणसी से लगभग 81 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में है। वाराणसी-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 31 शहर से होकर गुजरता है। यह संस्मारक गाजीपुर-चोचकपुर रोड पर स्थित है जो शहर के दक्षिण-पश्चिमी भाग में स्थित है। गाजीपुर और इसके आसपास का क्षेत्र गंगा नदी द्वारा फैला हुआ एक जलोढ़ मैदान है, जहां अक्सर बाढ़ का खतरा रहता है। यह संस्मारक नदी से लगभग 1 किमी दूर स्थित है। संस्मारक मुख्य रूप से कृषि भूमि से घिरा हुआ है जिसमें पीजी कॉलेज परिसर, जिला अस्पताल, कुछ सरकारी इमारतें, कार्यालय और रिवर बैंक कॉलोनी के रूप में जाना जाने वाला एक आवासीय क्षेत्र सहित कई निर्मित भूमि क्षेत्र हैं। संस्मारक के करीब, शहीद मर्द बाबा की एक दरगाह (मंदिर) है, जो सभी समुदायों द्वारा पूजे जाने वाले एक स्थानीय संत हैं।

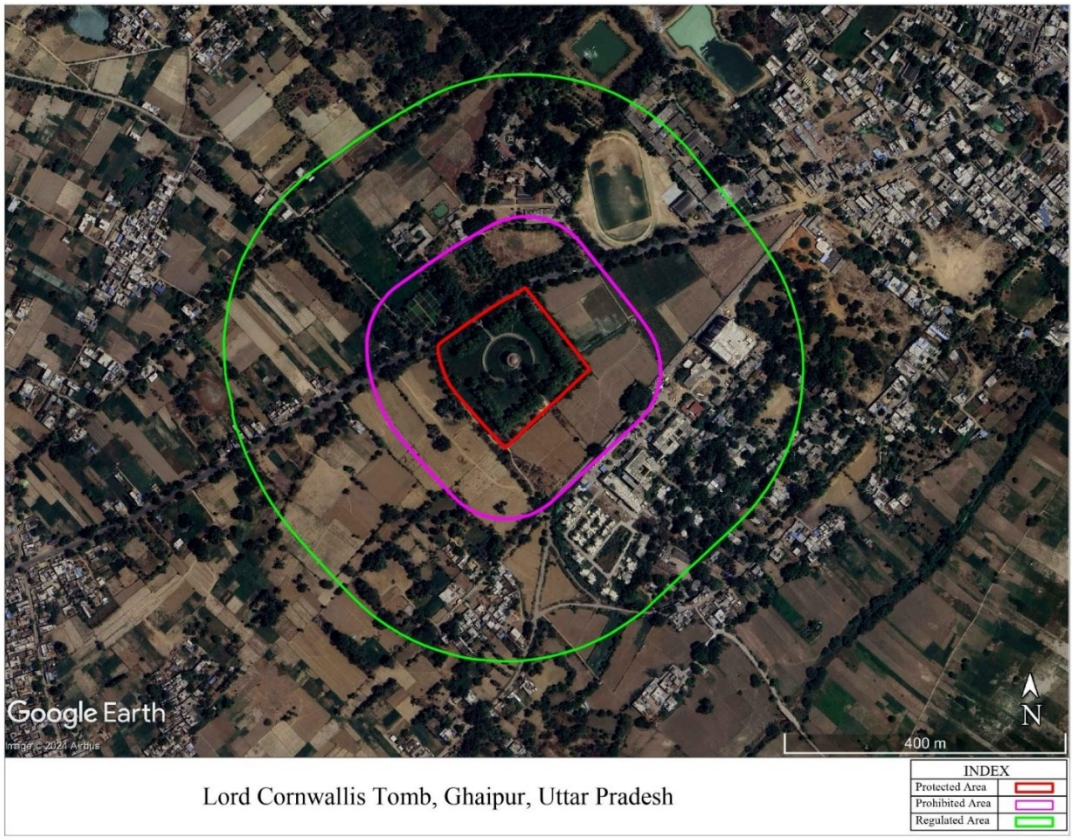

चित्र 1: लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश का स्थान दर्शाता सैटेलाइट चित्र

गाजीपुर अपने कृषि बाजार के लिए जाना जाता है, जहाँ अफीम बनाने के साथ-साथ इत्र बनाने और हाथ से बुनाई जैसे उद्योग पनपते हैं। गाजीपुर में स्थित सरकारी अफीम और अल्कलॉइड उद्योग दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी अफीम फैक्ट्रियों में से एक है।

संरक्षित क्षेत्र के भीतर संस्मारक एक चौकोर बगीचे के भीतर स्थित है जो एक गोलाकार लोहे की रेलिंग से घिरा हुआ है और एक गोलाकार पत्थर के रास्ते से घिरा हुआ है जो संरक्षित सीमा के उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व छोर पर स्थित दो प्रवेश द्वारों की ओर जाता है। संरक्षित सीमा के साथ स्थित मकबरा चारों ओर से पेड़ों से घिरा हुआ है। संस्मारक का निकटतम रेलवे स्टेशन गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन है जो लगभग 4.1 कि.मी. दूर स्थित है। निकटतम हवाई अड्डा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो संस्मारक से लगभग 90 किमी दूर वाराणसी में स्थित है।

3.2 संस्मारक की संरक्षित सीमा:

संरक्षित संस्मारक – **लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश** की संरक्षित सीमाएं **अनुलग्नक-I** में देखी जा सकती हैं।

3.2.1 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अभिलेख (रिकॉर्ड) के अनुसार अधिसूचना मानचित्र/योजना:

संरक्षित संस्मारक – **लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश** की राजपत्र अधिसूचना **अनुलग्नक-II** में देखी जा सकती है।

3.3 संस्मारक का इतिहास:

यह मकबरा लॉर्ड कॉर्नवालिस की याद में बनाया गया है जिन्हें ब्रिटिश काल के दौरान भारत के इतिहास में एक महान प्रशासक और सफल कमांडर-इन-चीफ के रूप में जाना जाता था। उन्हें दो बार भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और उन्हें राजस्व सुधारों, न्याय व्यवस्था और दूसरे मैसूर युद्ध में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। भारत में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान उत्तर-पश्चिम की यात्रा करते समय 5 अक्टूबर 1805 ई. को 67 वर्ष की आयु में गाजीपुर में उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन के बाद कोलकाता के ब्रिटिश निवासियों ने उनके सम्मान[1] में यह संस्मारक बनवाया।

3.4 संस्मारक का विवरण (वास्तुकला विशेषताएं, तत्व, सामग्री, आदि):

मकबरे में एक ऊंचा गुंबद है जो 18.30 मीटर व्यास वाले 3.66 मीटर ऊंचे गोलाकार मंच पर बारह स्तंभों पर टिका हुआ है। मंच के केंद्र में सफेद संगमरमर से बनी एक चौकोर संरचना बनी हुई है जिसके सामने की तरफ लॉर्ड कॉर्नवालिस की प्रतिमा बनी हुई है, जिसके नीचे शोक की मुद्रा में खड़े दो पुरुषों - एक हिंदू और एक मुस्लिम - के साथ अंग्रेजी में एक समाधि-लेख है। इसके अलावा, उसी संगमरमर की संरचना के दूसरी ओर एक यूरोपीय और एक देशी सैनिक को श्रद्धांजलि देते हुए दिखाया गया है जिसके नीचे उर्दू में एक समाधि-लेख है।

मकबरे के ऊपरी हिस्से के बाहरी हिस्से को सेना की टोपी और पुष्प रूपांकनों से सजाया गया है। मकबरे के चारों ओर गोलाकार लोहे की रेलिंग है, जिसका द्वार दक्षिण-पूर्व की ओर है तथा इसमें भाले, धनुष-बाण, तलवारें और उल्टी तोपें[2] खूबसूरती से रखी गई हैं।

---

[1] भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, सारनाथ सर्किल

[2] भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, सारनाथ सर्किल

3.5 वर्तमान स्थिति:

3.5.1 संस्मारक की स्थिति - स्थिति का आकलन:

संरक्षित संस्मारक और उसके संरक्षित क्षेत्रों का रखरखाव और संरक्षण एएसआई का विशेष अधिकार क्षेत्र है। संस्मारक की वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाले चित्र **अनुलग्नक III** में संलग्न हैं।

3.5.2 प्रतिदिन एवं कभी-कभार आने वाले आगंतुकों की संख्या:

लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा एक टिकट वाला संस्मारक है और यहां प्रतिदिन औसतन 20-30 आगंतुक आते हैं। इसके अलावा, हर साल 25 दिसंबर और 1 जनवरी को यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़कर 300 तक पहुंच जाती है।

अध्याय IV

स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में विद्यमान क्षेत्रीकरण, यदि कोई हो

4.1 विद्यमान क्षेत्रीकरण:

उत्तर प्रदेश के नगर एवं ग्राम नियोजन निदेशालय द्वारा तैयार गाजीपुर महायोजना 2001 के अनुसार संरक्षित संस्मारक स्थल को 'मनोरंजन' भूमि उपयोग के अंतर्गत खुले स्थान के रूप में चिह्नित किया गया है। **अनुलग्नक III देखें**

गाजीपुर महायोजना 2001 के अंतर्गत उल्लिखित संपूर्ण क्षेत्र को तीन प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। संरक्षित संस्मारक स्थल जोन 2 में आता है। अलग-अलग क्षेत्रों के लिए कोई विस्तृत विकास योजना नहीं है।

4.2 स्थानीय निकायों के मौजूदा दिशा-निर्देश:

निर्माण के लिए सामान्य दिशा-निर्देश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2008 (यथा संशोधित 2011, 2016, 2018) जिन्हें "उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम - 1973" के तहत परिभाषित किया गया है, के अनुसार हैं।

अध्याय V

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अभिलेख (रिकार्ड) में परिभाषित सीमाओं के आधार पर प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों की प्रथम अनुसूची नियम 21 (1)/टोटल स्टेशन सर्वेक्षण के अनुसार सूचना

5.1 लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश की सर्वेक्षण योजना:

सर्वेक्षण योजना **अनुलग्नक-I** में देखी जा सकती है।

5.2 सर्वेक्षित आंकड़ों का विश्लेषण:

5.2.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण:

i. संस्मारक का संरक्षित क्षेत्र लगभग 26353 वर्ग मीटर (6.51 एकड़) है।
ii. संस्मारक का प्रतिषिद्ध क्षेत्र लगभग 94357 वर्ग मीटर (23.32 एकड़) है।
iii. संस्मारक का विनियमित क्षेत्र लगभग 377321 वर्ग मीटर (93.24 एकड़) है।

5.2.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण:

i. **उत्तर**: प्रतिषिद्ध क्षेत्र में पी.जी. कॉलेज परिसर की सीमा के भीतर स्थित खुली भूमि में कोई संरचना मौजूद नहीं है। उत्तर-पूर्व और उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए संरचनाओं से रहित कृषि भूमि का विस्तार देखा जाता है। विनियमित क्षेत्र के भीतर कई संरचनाएं पहचानी जा सकती हैं जिनमें पीडब्ल्यूडी परिसर के भीतर कार्यालय, स्टाफ क्वार्टर, पी.जी. कॉलेज का कृषि विज्ञान केंद्र, पी.जी. कॉलेज कृषि क्षेत्र के भीतर विभिन्न इमारतें शामिल हैं जिनमें वैज्ञानिक क्वार्टर, नव पुरुष छात्रावास और एक गेस्ट हाउस शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, विनियमित क्षेत्र की उत्तर-पूर्व दिशा में पी.जी. कॉलेज परिसर के भीतर इमारतें स्थित हैं, जिनमें तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान संस्थान जैसी सुविधाएं हैं, साथ ही भौतिकी, रसायन विज्ञान, आनुवंशिकी और पादप प्रजनन जैसे विषयों की सुविधा देने वाले विभागीय भवन भी हैं।

ii. **पूर्व**: प्रतिषिद्ध क्षेत्र में कृषि भूमि के विस्तार के भीतर घोड़ा शहीद मर्द बाबा के नाम से एक दरगाह (मंदिर) स्थित है। विनियमित क्षेत्र में जिला अस्पताल और महर्षि विश्वामित्र स्वास्थ्य राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय के परिसर के अंदर इमारतें हैं, रिवर बैंक कॉलोनी में आवास और सरकारी स्टाफ क्वार्टर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय है। दक्षिण-पूर्व दिशा में एक ओवर हेड टैंक मौजूद है और सिंचाई विभाग के परिसर के अंदर एक गोदाम और एक कार्यालय सहित इमारतें हैं।

iii. **दक्षिण:** प्रतिषिद्ध क्षेत्र में कोई निर्मित संरचना मौजूद नहीं है। विनियमित क्षेत्र में कृषि और खुली भूमि से घिरे आवासीय भवनों का एक समूह है। दक्षिण-पूर्व दिशा में जिला अस्पताल के परिसर के भीतर इमारतें मौजूद हैं, एक ओवर हेड टैंक और सिंचाई विभाग के परिसर के अंदर कार्यालय, क्वार्टर और एक गोदाम हैं।

iv. **पश्चिम:** प्रतिषिद्ध क्षेत्र में कृषि भूमि के विस्तार के भीतर स्थित कोई संरचना नहीं है। हालांकि, विनियमित क्षेत्र में गाजीपुर-चोचकपुर रोड के किनारे कुछ आवास मौजूद हैं जो कृषि भूमि से घिरे हैं।

5.2.3 हरित/खुले स्थानों का विवरण:

i. **उत्तर:** प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर पी.जी. कॉलेज परिसर की सीमा के भीतर एक खुला क्षेत्र मौजूद है, साथ ही उत्तर-पूर्व और उत्तर-पश्चिम में कृषि भूमि स्थित है। विनियमित क्षेत्र में पी.जी. कॉलेज के परिसर के भीतर एक खेल का मैदान स्थित है और लोक निर्माण विभाग के परिसर में खुले स्थान पाए जाते हैं। उत्तर-पश्चिम दिशा में कृषि भूमि पी.जी. कॉलेज कृषि क्षेत्र की सीमा बनाती है जिसमें एक छोटा तालाब भी शामिल है।

ii. **पूर्व:** प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर कृषि भूमि का विस्तार है। विनियमित क्षेत्र में जिला अस्पताल के परिसर में पार्किंग क्षेत्र और अविकसित भूमि जैसे खुले स्थान शामिल हैं। रिवर बैंक कॉलोनी में एक पार्क स्थित है, साथ ही आवासीय परिसर के भीतर कुछ खुले स्थान और उद्यान हैं। उत्तर-पूर्व दिशा में, खुली कृषि भूमि और पेड़ों से युक्त एक खुला स्थान पाया जा सकता है।

iii. **दक्षिण:** प्रतिषिद्ध क्षेत्र में कृषि भूमि मौजूद है। विनियमित क्षेत्र में दक्षिण-पश्चिम दिशा में कृषि भूमि का एक विस्तार है और आवासों के समूह के चारों ओर पेड़ों से युक्त कृषि भूमि मौजूद है। दक्षिण-पूर्व दिशा में जिला अस्पताल परिसर और सिंचाई विभाग परिसर के भीतर हरे-भरे खुले स्थान पाए जा सकते हैं।

iv. **पश्चिम:** प्रतिषिद्ध क्षेत्र में नर्सरी और कृषि भूमि मौजूद है। विनियमित क्षेत्र में कृषि भूमि का विस्तार पाया जा सकता है।

5.2.4 परिसंचरण के अन्तर्गत शामिल क्षेत्र-सड़कें, फुटपाथ आदि:

संस्मारक गाजीपुर-चोचकपुर रोड के किनारे स्थित है जो संस्मारक के पूर्व में पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज रोड के साथ मिलती है और आगे राष्ट्रीय राजमार्ग 31 से जुड़ती है जो गाजीपुर को वाराणसी से जोड़ता है। उसी चौराहे से एक और सड़क दक्षिण की ओर मुड़ती है तथा जिला अस्पताल परिसर से गुज़रती है और पश्चिमी दिशा में रिवर बैंक कॉलोनी से जुड़ती है। एक संकरी कच्ची सड़क संस्मारक की पश्चिमी सीमा के साथ जाती है और जिला अस्पताल परिसर के दक्षिण-पश्चिम किनारे के पास एक चौराहे पर समाप्त होती है। उत्तर दिशा में पी.जी. कॉलेज परिसर के भीतर कई सड़कें हैं जिनमें कृषि विज्ञान केंद्र तक पहुंच मार्ग भी शामिल है जो गाजीपुर-चोचकपुर रोड से निकलती है और लोक निर्माण विभाग के कार्यालय की ओर जाती है। संरक्षित सीमा के अंदर एक गोलाकार पत्थर का रास्ता संस्मारक को घेरता है जो संरक्षित सीमा के उत्तरी और दक्षिणी किनारों को जोड़ता है।

5.2.5 भवनों की मौजूदा ऊंचाई (क्षेत्-वार):

i. **उत्तर:** उत्तर-पूर्व दिशा में पी.जी. कॉलेज बास्केटबॉल कोर्ट के पास जी+3 संरचना को छोड़कर, जिसकी अधिकतम ऊंचाई लगभग 12.5 मीटर है, इमारतों की औसत ऊंचाई जी से जी+1 तक है।

ii. **पूर्व**: जिला अस्पताल के परिसर में इमारतों की औसत ऊंचाई जी+2 और जी+3 है, जिसमें एक संरचना की अधिकतम ऊंचाई लगभग 18 मीटर है। रिवर बैंक कॉलोनी में इमारतों की ऊंचाई ज्यादातर जी और जी+1 है। हालांकि उत्तर-पूर्व दिशा में जिला अस्पताल के पास एक इमारत की अधिकतम ऊंचाई लगभग 24 मीटर है।

iii. **दक्षिण:** इमारतों की औसत ऊंचाई लगभग 4.5 मीटर और 12 मीटर के बीच है। कृषि भूमि से घिरे आवासों के समूह में अधिकांश इमारतों में जी+1 इमारतों के कुछ अपवादों के साथ छत और/या ममटी के साथ भूतल संरचनाएं शामिल हैं। जिला अस्पताल परिसर के भीतर इमारतें मुख्य रूप से जी+2 संरचनाएं हैं।

iv. **पश्चिम:** गाजीपुर-चोचकपुर रोड के किनारे स्थित आवास ज्यादातर जी+1 हैं जिनकी अधिकतम ऊंचाई लगभग 8.5 मीटर है।

5.2.6 प्रतिषिद्ध/विनियमित क्षेत्र के भीतर स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा राज्य संरक्षित संस्मारक और सूचीबद्ध धरोहर भवन, यदि उपलब्ध हों:

इस संस्मारक के प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्र में कोई राज्य संरक्षित संस्मारक और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा सूचीबद्ध धरोहर भवन मौजूद नहीं हैं।

5.2.7 सार्वजनिक सुविधाएं:

संस्मारक पर संरक्षण सूचना बोर्ड (पीएनबी), सांस्कृतिक सूचना बोर्ड (सीएनबी), टिकट ब्लॉक, पेयजल सुविधा, शौचालय, सार्वजनिक संकेत, सार्वजनिक फर्नीचर और आंतरिक संचलन मार्ग मौजूद हैं।

5.2.8 संस्मारक तक पहुंच:

संस्मारक तक पहुँचने के लिए गाजीपुर-चोचकपुर रोड का उपयोग किया जाता है जो उत्तर में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 से जुड़ने वाली पक्की सड़क है। संस्मारक की संरक्षित सीमा के भीतर आगंतुकों के आवागमन के लिए पत्थर से बना एक मार्ग उपलब्ध है। यह मार्ग उत्तरी प्रवेश द्वार से शुरू होता है तथा संस्मारक के चारों ओर घूमता है और संस्मारक की दक्षिणी सीमा तक फैला हुआ है।

5.2.9 अवसंरचना सेवाएँ (जल आपूर्ति, वर्षा जल निकासी, सीवेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्किंग आदि):

संस्मारक पर जल आपूर्ति लाइन और जल निकासी प्रणाली उपलब्ध है।

5.2.10 स्थानीय निकायों के अनुसार क्षेत्र का प्रस्तावित क्षेत्रीकरण:

उत्तर प्रदेश के नगर एवं ग्राम नियोजन निदेशालय द्वारा तैयार गाजीपुर महायोजना 2001 के अनुसार संरक्षित संस्मारक स्थल को 'मनोरंजन' भूमि उपयोग के अंतर्गत खुले स्थान के रूप में चिह्नित किया गया है। **अनुलग्नक III देखें**

गाजीपुर महायोजना 2001 के अंतर्गत उल्लिखित संपूर्ण क्षेत्र को तीन प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। संरक्षित स्मारक स्थल **जोन 2** में आता है। अलग-अलग क्षेत्रों के लिए कोई विस्तृत विकास योजना नहीं है।

अध्याय VI

संस्मारकों का वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व

6.1 संस्मारक की वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व:

मकबरा बहुत ऐतिहासिक महत्व रखता है क्योंकि इसका निर्माण लॉर्ड कॉर्नवालिस की याद में किया गया था जिन्होंने दो कार्यकालों (1786-1798 ईस्वी और 1805 ईस्वी) के दौरान भारत के गवर्नर-जनरल के रूप में कार्य किया और अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान 1805 ईस्वी में गाजीपुर में उनका निधन हो गया। संस्मारक भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना का वसीयतनामा है और उस ऐतिहासिक काल की स्थायी विरासत को दर्शाता है। संस्मारक ब्रिटिश राज की महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है।

अर्ध-ग्रीक शैली में निर्मित संस्मारक संरचना के रूप में मकबरा औपनिवेशिक युग की वास्तुकला की एक मूर्त याद दिलाता है। मकबरा पत्थर से बना है और इसमें गुंबददार छत, स्तंभ, सममित अग्रभाग, सजावटी विवरण और शिलालेख जैसे औपनिवेशिक डिजाइन तत्व शामिल हैं। मकबरे का वास्तुशिल्प महत्व इसके आसपास के परिदृश्य के साथ एकीकरण तक भी फैला हुआ है क्योंकि यह एक भूदृश्य उद्यान के भीतर स्थित है जो औपचारिक उद्यान बनाने के लिए ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रवृत्ति को दर्शाता है।

6.2 संस्मारक की संवेदनशीलता (अर्थात विकासात्मक दबाव, शहरीकरण, जनसंख्या दबाव आदि):

संस्मारक मुख्य रूप से खुली कृषि भूमि और अधिकांश दिशाओं में हरे भरे स्थानों से घिरा हुआ है। प्रतिषिद्ध क्षेत्र में वर्तमान में न्यूनतम निर्माण गतिविधि देखी जा रही है। हालाँकि, संस्मारक के विनियमित क्षेत्र में उत्तर, पूर्व और दक्षिण-पूर्व दिशाओं में आधुनिक निर्माण हैं जैसे कि जिला अस्पताल, पी.जी. कॉलेज का परिसर, सरकारी कार्यालय और आवास। पी.जी. कॉलेज का परिसर आगे और भी विस्तृत हो सकता है, जिससे संस्मारक विकास गतिविधियों के लिए असुरक्षित हो सकता है। जैसे-जैसे शहर का विस्तार होता है, संस्मारक विकास के दबावों के प्रति अधिक संवेदनशील होता जाता है। इसके अलावा, गाजीपुर शहर और उसके आसपास का क्षेत्र गंगा नदी द्वारा पार किया जाने वाला एक जलोढ़ मैदान है, जहां अक्सर बाढ़ का खतरा रहता है। संस्मारक नदी से लगभग 1 किमी दूर स्थित है।

6.3 संरक्षित संस्मारक या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता:

संस्मारक प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर सभी दिशाओं से आंशिक रूप से दिखाई देता है इसके बावजूद कि इसके चारों ओर खुली कृषि भूमि मौजूद है। संस्मारक के चारों ओर पेड़ होने के कारण इसकी दृश्यता अस्पष्ट है, जो इसकी संरक्षित सीमा के साथ बिखरे हुए हैं। विनियमित क्षेत्र के भीतर संस्मारक केवल कुछ खंडों से आंशिक रूप से दिखाई देता है, जबकि अन्य भागों में दृश्यता पूरी तरह से अवरुद्ध है।

संरक्षित क्षेत्र के भीतर से संस्मारक की सीमा के साथ पेड़ होने के कारण खुली कृषि भूमि और हरित क्षेत्र की दृश्यता आंशिक रूप से अस्पष्ट है। हालांकि संरक्षित सीमा से पूर्व और दक्षिण-पूर्व दिशाओं में इमारतों के दृश्यों के साथ सभी दिशाओं में खुली कृषि भूमि और पेड़ देखे जा सकते हैं।

6.4 पहचान किया जाने वाला भूमि उपयोग:

संरक्षित संस्मारक के लिए ग़ाज़ीपुर महायोजना 2001 के अनुसार प्रस्तावित भूमि उपयोग मनोरंजनात्मक (खुली जगह) है। प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में भूमि उपयोग आवासीय (अवासीय-निम्न घनत्व), सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक-शैक्षिक सुविधाएं (सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक-शैक्षिक सुविधाएं), उपचार/अस्पताल सुविधाएं (चिकित्सा सुविधाएं) और कृषि क्षेत्र (कृषिगत क्षेत्र) हैं।

6.5 संरक्षित संस्मारक के अतिरिक्त पुरातात्विक धरोहर अवशेष:

प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्र में संरक्षित संस्मारक के निकट अभी तक किसी भी ज्ञात पुरातात्विक विरासत के अवशेष की सूचना नहीं है।

6.6 सांस्कृतिक परिदृश्य:

प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्र में स्थित संस्मारक के आसपास कोई सांस्कृतिक परिदृश्य मौजूद नहीं है।

6.7 महत्वपूर्ण प्राकृतिक भू-दृश्य जो सांस्कृतिक परिदृश्य का हिस्सा है और पर्यावरण प्रदूषण से संस्मारकों को संरक्षित करने में भी सहायक है:

मकबरे के चारों ओर फैला उद्यान और संस्मारक के चारों ओर फैला खुला और हरा-भरा स्थान, परिदृश्य का हिस्सा है जो संस्मारक को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने में मदद करता है। इसके अलावा, गंगा नदी संस्मारक से लगभग 1 किमी दूर बहती है।

6.8 खुले स्थान और भवनों का उपयोग:

खुले स्थानों में मुख्य रूप से कृषि भूमि शामिल है जिसका उपयोग खेती के लिए किया जाता है। हालाँकि, उत्तर और उत्तर-पूर्व दिशा में पेड़ों और नर्सरी वाला एक खुला क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त, पी.जी. कॉलेज के परिसर में खेल का मैदान स्थित है और उत्तर-पूर्व दिशा में पेड़ों से भरी एक खुली भूमि मौजूद है। खुले स्थानों में जिला अस्पताल के भीतर पार्किंग क्षेत्र और पी.जी. कॉलेज परिसर में मौजूद खुली भूमि भी शामिल है।

6.9 पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ:

घोड़ा शहीद मर्द बाबा की दरगाह (तीर्थ) संस्मारक के निकट पूर्व दिशा में स्थित है और सभी समुदायों के लोग इसका सम्मान करते है

6.10 संस्मारक और विनियमित क्षेत्रों से दिखाई देने वाला क्षितिज:

संस्मारक की संरक्षित सीमा से दिखाई देने वाला क्षितिज पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशाओं में खुली कृषि भूमि का विस्तार दिखाती है जिसमें पूर्व में जिला अस्पताल की इमारतें दिखाई देती हैं। उत्तर दिशा में क्षितिज से पी.जी. कॉलेज के खुले क्षेत्र और मैदान दिखाई देते हैं जो पेड़ होने के कारण आंशिक रूप से अवरुद्ध हैं।

6.11 पारंपरिक वास्तुकला:

संस्मारक के आसपास कोई पारंपरिक वास्तुकला विद्यमान नहीं है।

6.12 स्थानीय प्राधिकरियों द्वारा यथा उपलब्ध विकास योजना:

गाजीपुर महायोजना 2001 **अनुलग्नक III** में देखी जा सकती है।

6.13 अनुमत भवन संबंधी मापदंड:

6.13.1 मरम्मत और नवीनीकरण (प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में):

आंतरिक परिवर्तन और अनुकूली पुनः उपयोग की सामान्य रूप से अनुमति दी जा सकती है। हालाँकि, बाहरी परिवर्तन सक्षम प्राधिकारी द्वारा विस्तृत जाँच के अधीन होंगे। ऐसे परिवर्तन जिनमें रेट्रोफिटिंग/नवीनीकरण शामिल है, की अनुमति तब दी जा सकती है जब इमारत संरचनात्मक रूप से कमज़ोर या असुरक्षित हो या जब उस पर किसी प्राकृतिक आपदा का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो और नवीनीकरण अत्यंत आवश्यक हो। मूल इमारत शब्दावली और लेआउट के साथ-साथ निर्मित-खुले संबंधों का पालन किया जाना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति के अधीन इमारतों की सामान्य मरम्मत और रखरखाव की अनुमति होगी।

भवन/संरचनाओं में मरम्मत और नवीनीकरण संरक्षित संस्मारक और उसके आस-पास के क्षेत्रों की धरोहर विशेषताओं के अनुरूप और उससे मेल खाता होना चाहिए। एल्युमिनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लैमिनेट्स (एचपीएल), लैमिनेट्स, टाइलिंग या ग्लेज़िंग जैसी नई क्लैडिंग सामग्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। मरम्मत और नवीनीकरण कार्यों को करने में स्थानीय रूप से उपलब्ध निर्माण सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

6.13.2 पुनर्निर्माण:

पुनर्निर्माण को एएमएएसआर अधिनियम, 1958 की धारा 2(त) में परिभाषित किया गया है। विनियमित क्षेत्र में पुनर्निर्माण की अनुमति एएमएएसआर अधिनियम, 1958 की धारा 20ग(2) और एएमएएसआर (विरासत उपनियमों का निर्धारण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम, 2011 के नियम 6(IV) और नियम 7 के अनुसार दी जाती है। किसी संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र के प्रतिषिद्ध या विनियमित क्षेत्र में स्थित किसी

प्रकार के भवन या सरंचना, जो प्राकृतिक आपदाओं से ध्वस्त या क्षतिग्रस्त हो गयी है, और जिसकी मरम्मतनहीं की जा सकती है, के मामले में पुनर्निर्माण की एएमएएसआर (विरासत उपनियमों का निर्धारण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम, 2011 के नियम 16 के अनुसार दी जाती है। पुनर्निर्माण के मामले में पुरानी इमारत के प्रतिस्थापन के रूप में नई संरचना या इमारत को पहले से मौजूद संरचना के अनुसार उसी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सीमाओं का पालन करना होगा। अग्रभाग में असंगत सामग्री जैसे ग्लेज़िंग, मेटल क्लैडिंग, एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लैमिनेट्स (एचपीएल), टाइल्स, लैमिनेट्स के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। नई संरचना संरक्षित संस्मारक के धरोहर क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्र के साथ मेल खाती और उसके अनुरूप होनी चाहिए।

6.13.3 नया निर्माण:

6.13.3.क प्रतिषिद्ध क्षेत्र:

एएमएएसआर अधिनियम, 1958 की धारा 20क(4) के अनुसार, संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर किसी भी सार्वजनिक कार्य या जनता के लिए आवश्यक परियोजना या अन्य निर्माण सहित किसी भी नए निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.13.3. ख विनियमित क्षेत्र:

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम - 1973 के अंतर्गत परिभाषित गाजीपुर महायोजना 2001 और विकास प्राधिकरण: भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2008 (यथा संशोधित 2011, 2016 और 2018) में निर्दिष्ट सभी विकास नियंत्रण मानदंड और भवन विनियम, जब भी संशोधित होंगे, लागू होंगे, हालांकि, इस दस्तावेज़ में निर्दिष्ट ऊंचाई और अन्य मानदंड संस्मारक के विनियमित क्षेत्र में लागू होंगे।

1. स्थल पर नए निर्माण की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचना आदि सहित) या छत पर कोई अन्य सेवाएं:

नए निर्माण या मौजूदा इमारतों में परिवर्धन/परिवर्तन के लिए अधिकतम ऊंचाई सीमा **12.50 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जेनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टेरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचना आदि सहित) या छत पर किसी भी अन्य सेवाओं से अधिक नहीं होगी।

संरक्षित संस्मारक की संरचनात्मक सुरक्षा पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए बेसमेंट के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2. उपयोग:

i. उपयोग गाजीपुर महायोजना 2001 में प्रस्तावित भूमि उपयोग के अनुसार होना चाहिए।
ii. आस-पास के क्षेत्र के खुले स्थान की विशेषता को बनाए रखा जाना चाहिए।

3. अग्रभाग डिजाइन:

i. किसी भी नए निर्माण का अग्रभाग डिजाइन प्रकृति में न्यूनतम होना चाहिए, ताकि यह संस्मारक और आसपास के क्षेत्र की समग्र विशेषता को प्रभावित न करे। अग्रभाग डिजाइन सूक्ष्म होना चाहिए और मिट्टी के रंगों में प्लास्टर और पेंट किया जाना चाहिए।

ii. बाहरी अग्रभाग पर बाहरी परिसज्जा के लिए एल्यूमीनियम कंपोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लेमिनेट्स (एचपीएल) और किसी भी अन्य सिंथेटिक सामग्री जैसे दखल देने वाली सामग्री के उपयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

4. छत का डिज़ाइन:

i. समतल छत के डिजाइन का पालन किया जाना चाहिए। इमारत की छत पर एल्युमिनियम, फाइबर ग्लास, पॉलीकार्बोनेट या इसी तरह की सामग्री का उपयोग करके अस्थायी प्रकृति की संरचनाओं का निर्माण हतोत्साहित किया जाना चाहिए। पानी की टंकियों को ईंट की दीवारों का उपयोग करके बंद किया जाना चाहिए।

ii. स्थानीय घरों के लिए टाइल और छप्पर की ढलान वाली छत का पालन किया जा सकता है।

5. निर्माण सामग्री:

i. संस्मारक की सभी सड़क के अग्रभागों पर निर्माण सामग्री और रंग में एकरूपता बनाए रखी जानी चाहिए। बाहरी सजावट के लिए आधुनिक निर्माण सामग्री जैसे एल्युमिनियम क्लैडिंग, कांच की ईंटें और किसी भी अन्य सिंथेटिक टाइल या सामग्री का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। स्थानीय घरों के लिए स्थानीय निर्माण सामग्री जैसे मिट्टी का उपयोग किया जा सकता है।

ii. ईंट, पत्थर और सीमेंट जैसी निर्माण सामग्री का उपयोग संरक्षित संस्मारक और उसके आसपास के क्षेत्र की विरासत विशेषता के लिए गैर-हस्तक्षेपकारी होना चाहिए।

6. रंग:

बाहरी रंग संरक्षित संस्मारक के साथ सामंजस्य रखते हुए तटस्थ स्वर का होना चाहिए, जैसे कि बफ बलुआ पत्थर का रंग, बेज और अन्य मिट्टी के रंग जो संरक्षित संस्मारक और उसके आसपास के वातावरण के साथ तीव्र विरोधाभास पैदा न करें।

7. अन्य विनियम:

मेट्रो (भूमिगत या ओवरहेड), फुट-ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर, बहु-स्तरीय पार्किंग या ऐसी किसी भी परियोजना जैसी किसी भी बड़े पैमाने पर सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव विस्तृत विरासत प्रभाव आकलन रिपोर्ट के अधीन होगा।

6.14 आगंतुक सुविधाएँ और साधन:

जहां तक संभव हो, आगंतुक सुविधाओं और साधनों जैसे किओक्स, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुविधा जैसे कि रैम्प और ब्रेल सुविधा के साथ आगंतुक सुविधा केंद्र/सूचना केंद्र पर विचार किया जाना चाहिए।

अध्याय VII

स्थल विशिष्ट सिफारिशें

7.1 स्थल विशिष्ट सिफ़ारिशें:

i. संरक्षित संस्मारक के पास, विशेष रूप से संस्मारकों की दीवारों पर होर्डिंग, बिलबोर्ड और पोस्टर के रूप में किसी भी विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

ii. स्थल पर प्रामाणिक ऐतिहासिक आख्यान पर आधारित वर्णनात्मक पट्टिकाएँ भी हो सकती हैं। इन्हें ब्रेल लिपि में भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

iii. संरक्षित संस्मारक के आसपास के क्षेत्र में आवागमन के लिए पर्यावरण के अनुकूल वाहनों के उपयोग की सिफारिश की जा सकती है।

iv. वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन और कंपन के कारण संस्मारक पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए वर्षा जल संचयन आदि जैसे सर्वोत्तम तरीकों सहित हरित भवनों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

v. ऐतिहासिक परिसर के भीतर सभी संकेत संरक्षित संस्मारक और उसके आस-पास की विशेष विरासत विशेषता के साथ संगत और सामंजस्यपूर्ण होने चाहिए।

vi. संकेतकों को लगाने से ऐतिहासिक संरचना को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, न ही संरक्षित संस्मारक की ऐतिहासिक विशेषता को कम करना चाहिए।

vii. संरक्षित संस्मारक या उसके आस-पास के क्षेत्रों में एलईडी या डिजिटल साइन, प्लास्टिक फाइबर ग्लास या किसी अन्य अत्यधिक परावर्तक सिंथेटिक सामग्री का उपयोग संकेतक के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

viii. बाढ़ संभावित क्षेत्र में आम जनता की सुरक्षा के लिए स्थानीय निकायों द्वारा उठाए गए किसी भी उपाय की अनुमति दी जा सकती है।

ix. संस्मारक के संरक्षित क्षेत्र में सभी मौजूदा पेड़ों को संरक्षित किया जाएगा।

7.2 अन्य सिफारिशें:

i. संस्मारक के ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक प्रचार कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।

ii. भविष्य की किसी भी महायोजना/विकास योजना में सभी संरक्षित संस्मारक/क्षेत्र और उनके प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र दर्शाए जा सकते हैं।

iii. निर्धारित मानकों के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रावधान किए जाने चाहिए।

iv. क्षेत्र को प्लास्टिक और पॉलीथीन मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए।

v. शहरीकरण के खिलाफ एक मजबूत बफर बनाने के लिए संरक्षित संस्मारक की सीमा के साथ अधिक स्वदेशी/स्थानीय पेड़ लगाने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

vi. सांस्कृतिक विरासत स्थलों और परिसरों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा-निर्देशों को https://nidm.gov.in/PDF/pubs/NDMA/20.pdf पर देखा जा सकता है।

vii. भवन की ऊंचाई, स्थापत्य विशेषताओं, अग्रभाग, अनुशंसित सामग्री और परिसज्जा के लिए नियमों का विवरण देने वाली पुस्तिका तैयार की जानी चाहिए। यह प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों के भीतर भूखंडों के लिए भविष्य में निर्माण गतिविधियों को अंजाम देने वाले स्थानीय लोगों के लिए एक संदर्भ के रूप में काम करेगी।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

In exercise of the powers conferred by section 20 E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 read with Rule (22) of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye- laws and Other Functions of the Competent Authority) Rule, 2011, the following Heritage Bye-laws for the Protected Monument **Lord Cornwallis Tomb, Ghazipur, Uttar Pradesh**, prepared by the Competent Authority and in consultation with the Indian Institute of Technology (BHU), Varanasi, Uttar Pradesh were published on 12.07.2023 as required by Rule 18, sub-rule (2) of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members ofAuthority and Conduct of Business) Rules, 2011, for inviting objections or suggestions from the public;

The objections/suggestions, received before the specified date, have duly been considered by the National Monuments Authority in consultation with the Competent Authority.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of the Section 20 E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 the National Monuments Authority, hereby makes the following bye-laws, namely:-

Heritage Bye-Laws for Lord Cornwallis Tomb, Ghazipur, Uttar Pradesh

CHAPTER I

PRELIMINARY

1.1. Short title, Extent and Commencements:

(i) These bye-laws may be called the National Monuments Authority Heritage bye-laws 2024 of the Protected Monument - **Lord Cornwallis Tomb, Ghazipur, Uttar Pradesh**

(ii) They shall extend to the entire Prohibited and Regulated Area of the monuments.

(iii) The provisions of these bye-laws shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other bye-laws, whether made before or after the commencement of these bye-laws, or in any instrument having effect by virtue of any bye-laws. It shall not be obligatory to carry out amendments in these bye-laws to make them consistent with any other bye-laws.

(iv) They shall come into force with effect from the date of their publication.

1.2. Definitions: -

1. In these bye-laws, unless the context otherwise requires, the definitions as given in the Act or the rules made thereunder have been reproduced hereunder for the sake of convenience:

   (a) "Ancient monument" means any structure, erection or monument, or any tumulus or place or interment, or any cave, rock sculpture, inscription or monolith, which is of historical, archaeological or artistic interest and which has been in existence for not less than one hundred years, and includes: -

   (i) the remains of an ancient monument,
   (ii) the site of an ancient monument,

(iii) such portion of land adjoining the site of an ancient monument as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving such monument, and
(iv) the means of access to, and convenient inspection of an ancient monument;

(b) "Archaeological site and remains" means any area which contains or is reasonably believed to contain ruins or relics of historical or archaeological importance which have been in existence for not less than one hundred years, and includes:

(i) such portion of land adjoining the area as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving it, and
(ii) the means of access to, and convenient inspection of the area;

(c) "Act" means the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);

(d) "Archaeological officer" means an officer of the Department of Archaeology of the Government of India not lower in rank than Assistant Superintendent of Archaeology;

(e) "Authority" means the National Monuments Authority constituted under Section 20 F of the Act;

(f) "Competent authority" means an officer not below the rank of Director of archaeology or Commissioner of archaeology of the Central or State Government or equivalent rank, specified, by notification in the Official Gazette, as the competent authority by the Central Government to perform functions under this Act:

Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify different competent authorities for the purpose of section 20C, 20D and 20E;

(g) "construction" means any erection of a structure or a building, including any addition or extension thereto either vertically or horizontally, but does not include any re-construction, repair and renovation of an existing structure or building, or, construction, maintenance and cleansing of drains and drainage works and of public latrines, urinals and similar conveniences, or the construction and maintenance of works meant for providing supply of water for public, or, the construction or maintenance, extension, management for supply and distribution of electricity to the public or provision for similar facilities for public;

(h) "Floor Area Ratio (FAR)" means the quotient obtained by dividing the total covered area (plinth area) on all floors by the area of the plot;

FAR = Total covered area of all floors divided by plot area;

(i) "Government" means the Government of India;

(j) "maintain", with its grammatical variations and cognate expressions, includes the fencing, covering in, repairing, restoring and cleansing of a protected monument, and the doing of any act which may be necessary for the purpose of preserving a protected monument or of securing convenient access thereto;

(k) “owner” includes-

(i) a joint owner invested with powers of management on behalf of himself and other joint owners and the successor-in-title of any such owner; and
(ii) any manager or trustee exercising powers of management and the successor-in-office of any such manager or trustee;

(l) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act;

(m) “Prohibited area” means any area specified or declared to be a prohibited area under section 20A;

(n) “Protected area” means any archaeological site and remains which is declared to be of national importance by or under this Act;

(o) “Protected monument” means any ancient monument which is declared to be of national importance by or under this Act;

(p) “Regulated area” means any area specified or declared to be a regulated area under section 20B of this Act;

(q) “re-construction” means any erection of a structure or building to its pre-existing structure, having the same horizontal and vertical limits;

(r) “Repair and renovation” means alterations to a pre-existing structure or building, but shall not include construction or re-construction;

2. The words and expressions used herein and not defined shall have the same meaning as assigned in the Act or the rules made thereunder.

CHAPTER II

Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958

2.1 Background of the Act:

The Heritage Bye-Laws are intended to guide physical, social and economic interventions within 300m in all directions of the Protected Monuments. The three hundred meters area has been divided into two parts (i) the **Prohibited Area,** the area beginning at the limit of the Protected Area or the Protected Monument and extending to a distance of one hundred meters in all directions and (ii) the **Regulated Area**, the area beginning at the limit of the Prohibited Area and extending to a distance of two hundred meters in all directions.

As per the provisions of the Act, no person shall undertake any construction or mining operation in the Protected Area and Prohibited Area while permission for repair and renovation of any building or structure, which existed in the Prohibited Area before 16 June, 1992, or which had been subsequently constructed with the approval of Director General (DG), Archaeological Survey of India (ASI) and; permission for construction, re-construction, repair or renovation of any building or structure in the Regulated Area, must be sought from the Competent Authority.

2.2 Provision of the Act related to Heritage Bye-laws:

Section 20E of AMASR Act, 1958 and Rule 22 of Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and other functions of the Competent Authority) Rules, 2011, specifies framing of Heritage Bye-Laws for Protected Monuments. The Rule provides parameters for the preparation of Heritage Bye-Laws. Rule 18 of National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, specifies the process of approval of Heritage Bye-laws by the Authority.

2.3 Rights and Responsibilities of the Applicant:

Section 20C of AMASR Act, 1958 specifies details of application for repair and renovation in the Prohibited Area, or construction or re-construction or repair or renovation in the Regulated Area as described below:

a) Any person, who owns any building or structure, which existed in a Prohibited Area before 16th June, 1992, or, which had been subsequently constructed with the approval of the Director General, ASI and desires to carry out any repair or renovation of such building or structure, may make an application to the Competent Authority for carrying out such repair and renovation as the case may be.

b) Any person, who owns or possesses any building or structure or land in any Regulated Area, and desires to carry out any construction or re-construction or repair or renovation of such building or structure on such land, as the case may be, may make an application to the Competent Authority for carrying out construction or re-construction or repair or renovation as the case may be.

c) It is the responsibility of the applicant to submit all relevant information and abide by the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011.

CHAPTER III

Location and Setting of the Protected Monument – Lord Cornwallis Tomb, Ghazipur, Uttar Pradesh

3.1 Location and Setting of the Monument:

The Lord Cornwallis Tomb is a Protected Monument located in the district of Ghazipur, in the eastern part of Uttar Pradesh.

The GPS coordinates are: **Latitude**: 25°33'31"N; **Longitude:** 83°32'45"E.

The city of Ghazipur lies adjacent to the banks of the River Ganga, approximately 81 km northeast of Varanasi. The Varanasi-Gorakhpur National Highway 31 runs through the city. The monument is located along Ghazipur – Chochakpur Road, positioned in the southwestern part of the city. Ghazipur and its surrounding region constitute an alluvial plain traversed by the River Ganga, prone to frequent floods. The monument is located approximately 1 km away from the River. The monument is predominantly surrounded by expanse of agricultural land with several built up land parcels including the P.G. College campus, the District Hospital, few government buildings, offices and a residential area known as River Bank Colony. In close proximity to the monument, there is a Dargah (shrine) of Shaeed Mard Baba, a local saint revered by all communities.

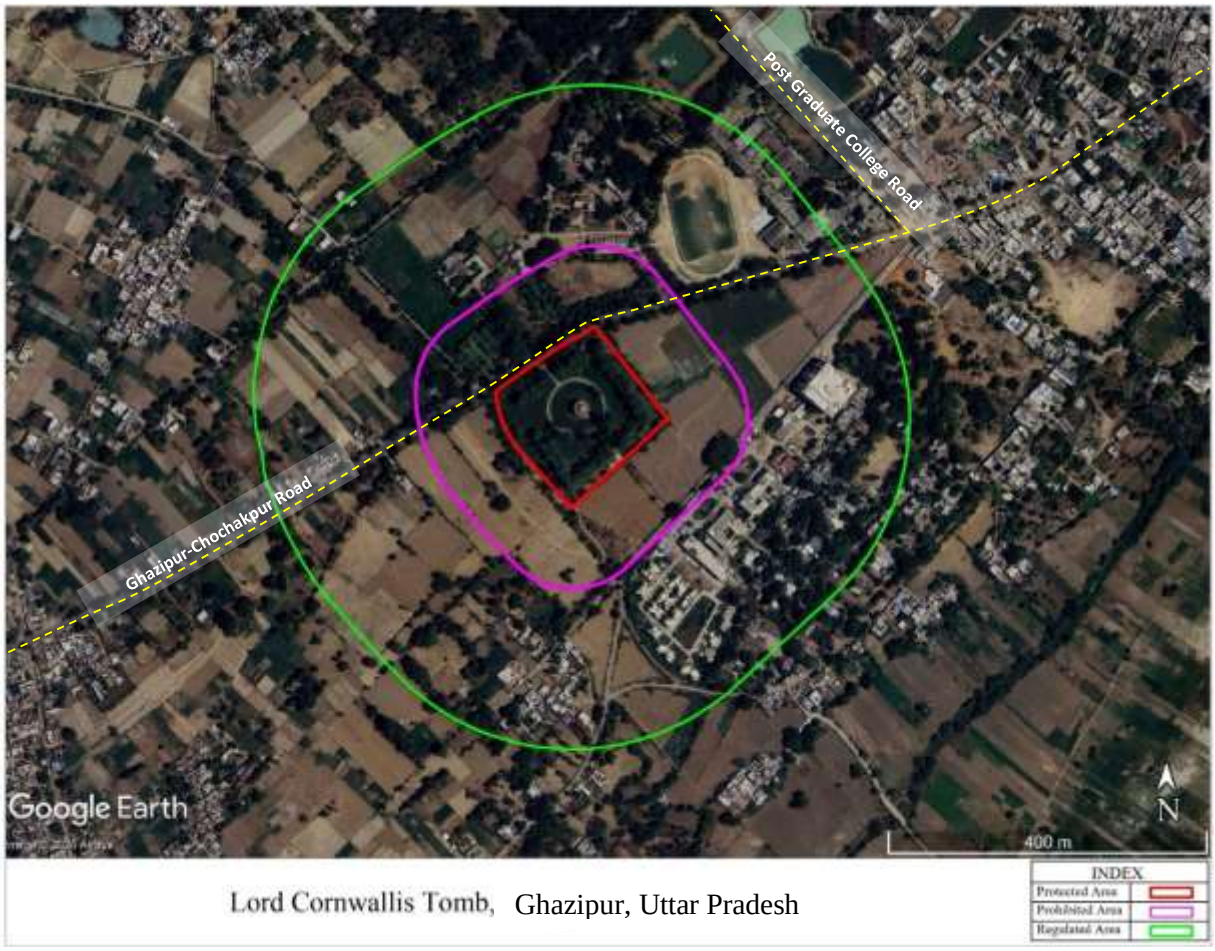

Figure 1: Satellite image showing the location of Lord Cornwallis Tomb, Ghazipur, Uttar Pradesh

Ghazipur is known for its agricultural market, where industries such as perfume making and hand loom weaving thrive, alongside the manufacture of opium. Government Opium & Alkaloid Industries situated in Ghazipur is one of the largest and oldest opium factories in the world.

Within the Protected Area, the monument is centrally located within a square garden, enclosed by a circular iron railing and flanked by a circular stone pathway leading to two entrance gates situated at the northwest and southeast ends of the protected boundary. The tomb is surrounded by trees along all sides, situated along the protected boundary. The nearest railway station to the monument is Ghazipur City Railway Station, located approximately 4.1 km away. The nearest airport is Lal Bahadur Shastri International Airport, located in Varanasi, approximately 90 km from the monument.

3.2 Protected boundary of the Monument:

The Protected Boundary of this Protected Monument- **Lord Cornwallis Tomb, Ghazipur, Uttar Pradesh** may be seen at **Annexure-I**.

3.2.1 Notification Map/ Plan as per ASI records:

Gazette Notification of Lord Cornwallis Tomb, Ghazipur, Uttar Pradesh may be seen at **Annexure-II.**

3.3 History of the Monument:

The tomb has been constructed in the memory of Lord Cornwallis who was known as a great administrator and a successful commander-in-chief in the history of India during the British period. He was appointed the Governor General of India twice and is remembered for his contributions towards revenue reforms, judicature system and the second Mysore war. During his second tenure in India, while travelling to the north-west, he died in Ghazipur on 5th October 1805 C.E. at the age of 67 years. After his demise, the British inhabitants of Kolkata erected this monument in his honour.[1]

3.4 Description of Monument (architectural features, elements, materials etc.):

The tomb consists of a lofty dome supported by twelve columns erected on a 3.66 meters high circular platform of 18.30 meters in diameter. At the centre of the platform, a square structure made of white marble is raised, which bears the bust of Lord Cornwallis carved on the front side with two men - a hindu and a muslim, standing in an attitude of mourning below which is an epitaph in English. Also, the other opposite face of the same marble structure depicts a European and a native soldier paying homage with an epitaph below in Urdu.

The exterior of upper portion of the tomb has been ornamented with army cap and floral motifs. The circular iron railing around the tomb with its gate toward south-east is beautifully fabricated with spears, bows & arrows, swords and inverted cannons.[2]

[1] Archaeological Survey of India, Sarnath Circle
[2] Archaeological Survey of India, Sarnath Circle

3.5 Current Status:

3.5.1 Condition of Monument- condition assessment

The maintenance and preservation of the Protected Monument and its protected areas is the exclusive domain of ASI. The photographs depicting the present condition of the monument is appended in **Annexure III.**

3.5.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers:

Lord Cornwallis Tomb is a ticketed monument and the average foot fall is about 20-30 visitors approximately per day. Further, on 25th December and 1st of January, every year the foot fall increases up to 300 visitors.

CHAPTER IV

Existing zoning, if any, in the local area development plans

4.1 Existing zoning:

As per the Ghazipur Master Plan 2001, prepared by the Directorate of Town and Country Planning, Uttar Pradesh, the site of the Protected Monument is marked as Open Spaces under 'Recreational' land use. **Refer Annexure III**

The entire area mentioned under Ghazipur Master Plan 2001, is divided into three major Zones. The site of the Protected Monument falls in **Zone 2**. There are no detailed development plans for the individual zones.

4.2 Existing Guidelines of the local bodies:

The general guidelines for the construction are as per Development Authority; Building Construction and Development Bye-Laws, 2008 (as Amended 2011, 2016, 2018) defined under the "Uttar Pradesh Municipal Planning and Development Act - 1973".

CHAPTER V

Information as per First Schedule, Rule 21(1)/ total station survey of the Prohibited and the Regulated Areas on the basis of boundaries defined in Archaeological Survey of India records.

5.1 Survey Plan of Lord Cornwallis Tomb, Ghazipur, Uttar Pradesh:

Survey Plan may be seen at **Annexure- I**.

5.2 Analysis of surveyed data:

5.2.1 Prohibited Area and Regulated Area details:

i. Protected Area of the monument is 26353 Sqm (6.51 Acres) approximately
ii. Prohibited Area of the monument is 94357 Sqm (23.32 Acres) approximately
iii. Regulated Area of the monument is 377321 Sqm (93.24 Acres) approximately

5.2.2 Description of built up area:

i. **North:** In the Prohibited Area, there are no structures present in the open land situated within the confines of the P.G. College campus. Extending towards the northeast and northwest directions, expanses of agricultural land devoid of structures are observed. Within the Regulated Area, several structures are identifiable, including offices within the PWD campus premises, staff quarters, the Krishi Vigyan Kendra of P.G. College, various buildings within the P.G. College Agricultural area including Scientist Quarters, Nav Purush Hostel, and a guest house. Additionally, in the northeast direction of the Regulated Area, buildings are situated within the P.G. College campus, which houses facilities such as the Technical Education and Research Institute, along with departmental buildings facilitating disciplines including Physics, Chemistry, Genetics and Plant Breeding.

ii. **East**: Within the expanse of agricultural land in the Prohibited Area, a Dargah (shrine) known as Ghoda Shaheed Mard Baba is situated. In the Regulated Area there are buildings inside the campus of the District Hospital and Maharishi Vishwamitra Swashasi Rajya Chikitsa University, residences and government staff quarters situated in the River Bank Colony and the office of the Chief Medical Officer. Futher towards southeast direction there is an Over Head Tank present and buildings inside the campus of Irrigation Department including a godown and an office.

iii. **South**: There are no built structures present in the Prohibited Area. In the Regulated Area, there is a cluster of residential buildings surrounded by agricultural and open land. In the southeast direction there are buildings present within the campus of the District Hospital, an Over Head Tank and, offices, quarters and a godown inside the campus of the Irrigation Department.

iv. **West**: In the Prohibited Area, there are no structures located within the expanse of agricultural land. However, some residences are present along the Ghazipur-Chochakpur Road in the Regulated Area, surrounded by agricultural land.

5.2.3 Description of green/open spaces:

i. **North**: Within the Prohibited Area, an open area exists within the confines of the P.G. College campus, as well as agricultural land situated to the northeast and northwest. In the Regulated Area, a playground is located within the campus of P.G. College, and open spaces are found within the premises of the Public Works Department. In the northwest direction, agricultural land borders the P.G. College Agricultural Area, which also includes a small pond.

ii. **East**: Within the Prohibited Area, there is an expanse of agricultural land. In the Regulated Area, the premises of the District Hospital include open spaces such as parking areas and undeveloped land. A park is located in River Bank Colony, along with some open spaces and gardens within residential premises. In the northeast direction, open agricultural land and an open space dotted with trees can be found.

iii. **South**: There is agricultural land present in the Prohibited Area. In the Regulated Area, there is a stretch of agricultural land in the southwest direction and agricultural land dotted with trees present around the cluster of residences. In the southeast direction, green open spaces can be found within the premises of the District Hospital campus and Irrigation Department campus.

iv. **West**: In the Prohibited Area, there is a nursery and agricultural land present. In the Regulated Area, an expanse of agricultural land can be found.

5.2.4 Area covered under circulation- roads, footpaths etc:

The monument is located along the Ghazipur-Chochakpur Road, which intersects with Post Graduate College Road east of the monument and further connects to National Highway 31 which links Ghazipur to Varanasi. From the same intersection, another road diverges southward, passing by the District Hospital campus and connecting to River Bank Colony in the western direction. A narrow earthen road runs along the monument's western boundary and ends at an intersection near the southwest edge of the District Hospital campus. In the northern direction, several roads exist within the P.G. College campus, including an access road to Krishi Vigyan Kendra that diverges from Ghazipur-Chochakpur Road and leads to the office of Public Works Department. Inside the Protected Boundary, a circular stone pathway surrounds the monument, connecting the northern and southern edges of the Protected Boundary.

5.2.5 Existing Heights of buildings:

i. **North:** The average height of buildings ranges from G to G+1 with an exception of a G+3 structure near the P.G. College Basketball Court in the northeast direction which reaches a maximum height of approximately 12.5 meters.

ii. **East:** The average height of buildings within the campus of District Hospital is G+2 and G+3 with a structure reaching a mamximum height of approximately 18 meters. In the River Bank Colony the buildings heights are mostly G and G+1. However, near the District Hopstial in northeast direction, a building reaches the maximum height of approximately 24 meters.

iii. **South**: The average building heights vary between approximately 4.5 meters and 12 meters. In the cluster of residences surrounded by agricultural land, most buildings consist of ground floor structures with rooftop and/or mumty, with a few exceptions of G+1 buildings. Within the District Hospital campus, the buildings are primarily G+2 structures.

iv. **West**: The residences situated along the Ghazipur-Chochakpur Road are mostly G+1 with a maximum height of approximately 8.5 meters.

5.2.6 State protected monument and listed heritage building by local authorities if Available within Prohibited/Regulated:

No state protected monuments and listed heritage buildings by local authorities, are present, within the Prohibited and Regulated Area of the monument.

5.2.7 Public amenities:

Protection Notice Board (PNB), Cultural Notice Board (CNB), ticket block, drinking water facility, toilets, public signages, public furniture and internal circulation pathways, are present at the monument.

5.2.8 Access to the monument:

Access to the monument is facilitated by Ghazipur-Chochakpur Road, a metalled road that connects to National Highway 31 to the north. Within the Protected Boundary of the monument, a stone-paved pathway is available for visitor circulation. This pathway begins at the northern entrance gateway, wraps around the monument, and extends to the southern boundary of the monument.

5.2.9 Infrastructure services (water supply, storm water drainage, sewage, solid Waste management, parking etc.):

Water supply line and drainage system are available at the monument.

5.2.10 Proposed zoning of the area as per Local Bodies:

As per the Ghazipur Master Plan 2001, prepared by the Directorate of Town and Country Planning, Uttar Pradesh, the site of the Protected Monument is marked as Open Spaces under 'Recreational' land use. **Refer Annexure III**

The entire area mentioned under Ghazipur Master Plan 2001, is divided into three major Zones. The site of the Protected Monument falls in **Zone 2**. There are no detailed development plans for the individual zones.

CHAPTER VI

Architectural, historical and archaeological value of the monuments.

6.1 Architectural, historical and archaeological value:

The tomb holds immense historical value as it was constructed in the memory of Lord Cornwallis, who served as the Governor-General of India during two terms (1786-1798 C.E. and 1805 C.E.) and passed away in Ghazipur in 1805 C.E. during his second tenure. The monument stands as a testament to the establishment of British rule in India and signifies the enduring legacy of that historical period. The monument embodies the ambitions of the British Raj.

As a commemorative structure constructed in quasi-Grecian style, the tomb serves as a tangible reminder of colonial-era architecture. The tomb is constructed in stone and embodies the colonial design elements such as domed roof, columns, symmetrical facades, ornamental detailing and inscriptions. Its design, materials, and ornamentation provide insights into the architectural trends and preferences of the period. The architectural significance of the tomb also extends to its integration with the surrounding landscape as it is situated within a landscaped garden, reflecting the British colonial penchant for creating formal gardens.

6.2. Sensitivity of the monument (e.g. developmental pressure, urbanization, population Pressure, etc.):

The monument is primarily surrounded by open agricultural land and green spaces in most directions. The Prohibited Area currently experiences minimal construction activity. However, there are modern constructions mostly in the north, east and southeast directions in the Regualted Area of the monument such as District Hopstial, campus of P.G. College, government offices and residences. The campus of the P.G. College can further expand, making the monument vulnerable to development activities. As the city expands, the monument becomes more susceptible to development pressures. Also, the city of Ghazipur and its surrounding region constitute an alluvial plain traversed by the River Ganga, prone to frequent floods. The monument is located approximately 1 km away from the river.

6.3. Visibility from the protected monument or area and visibility from Regulated Area:

The monument is partially visible from all directions within the Prohibited Area, despite the presence of open agricultural land surrounding it. Its visibility is obscured due to the presence of trees around the monument, which are scattered along its Protected Boundary. Within the Regulated Area, the monument is only partially visible from certain sections, while visibility is completely blocked in other parts.

From within the Protected Area, the visibility of open agricultural land and green area is partially obscured due to the presence of trees along the boundary of the monument. However, from the Protected Boundary, open agricultural land and trees are observed in all directions, with views of buildings in the east and southeast directions.

6.4. Land- use to be identified:

The proposed land use according to the Ghazipur Masterplan 2001 for the protected monument is Recreational (Open Spaces). Land use in the Prohibited and Regulated Areas are Residential (*Awasiya – Nimn Ghanatva*), Public and Semi Public – Educational Facilities (*Sarvajanik evam Ardhasarvajanik – Shaikshik Suvidhayen*), Treatment/Hospital Facilities (*Chikitsa Suvidhayen*) and Agricultural Area *(Krishigat Kshetra).*

6.5. Archaeological heritage remains other than protected monument:

No known archaeological heritage remains are reported as get near the protected monument in the Prohibited and Regulated Area.

6.6. Cultural landscapes:

There is no cultural landscape present around the monument in the Prohibited and Regulated Area.

6.7. Significant natural landscapes that forms part of cultural landscape and also helps in protecting the monument from environmental pollution:

The garden encompassing the tomb and expansive open and green spaces around the monument forms part of the landscape that helps in safeguarding the monument from environmental pollution. Also, the River Ganga flows approximately 1 km away from the monument.

6.8. Usage of open space and constructions:

The open spaces predominantly consist of agricultural land utilized for cultivation purposes. However, in the north and northeast directions, there is an open area with trees and a nursery. Additionally, a playground is located within the campus of P.G. College, and an open land dotted with trees is present in the northeast direction. Open spaces also include parking areas within the District Hospital and open land present within the P.G. College campus.

6.9. Traditional, historical and cultural activities:

The Dargah (shrine) of Ghoda Shahid Mard Baba is located in close vicinity to the monument in the east direction and is revered by people of all communities.

6.10. Skyline as visible from the monument and from Regulated Areas:

The skyline, as visible from the Protected Boundary of the monument reveals an expanse of open agricultural land in the east, south, and west directions, with the buildings of the District Hospital visible in the east. In the north direction, the skyline offers views of the open areas and grounds of P.G. College, partially obstructed by the presence of trees.

6.11. Traditional architecture:

No traditonal architecture has been in prevalence around the monument.

6.12. Developmental plan, as available, by the local authorities:

Ghazipur Master Plan 2001 may be seen in **Annexure III.**

6.13. Permissible Building related parameters:

6.13.1 Repair and Renovation (in Prohibited and Regulated area):

Internal changes and adaptive reuse may be generally permitted. However, external changes shall be subject to detailed scrutiny by the Competent Authority. Such changes which include retrofitting/renovation may be permitted when the building is structurally weak or unsafe or when it has been adversely impacted by any natural calamity and renovation is absolutely necessary. Original building vocabulary and layout along with built-open relationships are to be adhered to. General repair and upkeep of buildings will be permissible, subject to prior permission from the Competent Authority.

The repair and renovation in building/structures should be sympathetic and congruous with the heritage character of the Protected Monument and its surrounding areas. New cladding materials like Aluminium Composite Panels (ACP), High Pressure Laminates (HPL), laminates, tiling or glazing will not be permitted. Use of locally available building materials should be encouraged in carrying out repair and renovation works.

6.13.2 Reconstruction:

Reconstruction is defined in Section 2(k) of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958. Permission for reconstruction in Regulated Area is accorded as per Section 20 C (2) of the AMASR Act, 1958 and Rule 6(IV) and Rule 7 AMASR (Framing of heritage Bye-laws and other functions of the Competent Authority) Rules, 2011. In case of any type of building or structure located in the Prohibited or Regulated Area of the Protected Monument or Protected Area, collapsed or damaged and found beyond repair due to natural calamities, the permission for reconstruction is accorded as per Rule 16 AMASR (Framing of heritage Bye-laws and other functions of the Competent Authority) Rules, 2011. The new structure or building as a replacement to the older building in case of reconstruction shall follow the same horizontal and vertical limits as per the pre-existing structure. The use of incongruous materials in the façade such as glazing, metal cladding, Aluminium Composite Panels (ACP), High Pressure Laminates (HPL), tiles, laminates will not be permissible. The new structure should be sympathetic and congruous with the heritage character of theprotected monuments and its surrounding area.

6.13.3 New Construction:

6.13.3.A Prohibited Area:

As per Section 20A(4) of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958, no new construction including carrying out any public work or project essential to the public or other construction, shall be permitted within the Prohibited Area of the protected monument.

6.13.3. B Regulated Area:

All the development control norms and building regulations specified in Ghazipur Master Plan 2001 and Development Authority: Building Construction and Development Bye-Laws, 2008 (as amended 2011, 2016, and 2018) defined under the Uttar Pradesh Municipal Planning and Development Act – 1973, as and when amended shall be applicable, however, the height and other parameters specified in this document shall be applicable in the Regulated Area of the monument.

1. **Height of the new construction on the site (including mumty, parapet, water storage tank, machine room, HVAC unit, solar panel, rain water harvesting system, penthouse structures of terrace garden etc.) or any other services on the roof:**

   The maximum height limit for new construction or additions/alteration to existing buildings shall not exceed **12.50 meters** (including mumty, parapet, water storage tank, machine room, generator room, HVAC unit, solar panel, rainwater harvesting system, penthouse structures of terrace garden etc.) or any other services on the roof.

   Construction of the basement may not be permitted to mitigate any adverse impact on the structural, safety of the protected monument.

2. **Usage:**

   i. Usage should be as per the proposed land use in the Ghazipur Master Plan 2001.

   ii. The open space character of the surrounding area may be maintained.

3. **Façade design:**

   i. The facade design of any new construction should be minimalistic in nature, so that it does not overpower the monument and the overall character of the surrounding area. The facade design should be subtle, and plastered and painted in earthy colours.

   ii. Use of intrusive materials such as Aluminium Composite Panel (ACP), High Pressure Laminates (HPL) and any other synthetic material for exterior finishes on the exterior facade should be discouraged.

4. **Roof design:**

   i. Flat roof design should be followed. Erection of Structures, even of temporary nature, using materials such as aluminium, fibre glass, polycarbonate or similar materials should be discouraged on the roof of the building. Water tanks should be screened off using brick walls.

   ii. For vernacular houses sloping roof with tiles and thatched roofs may be followed.

5. **Building material:**

   i. Consistency in building materials and colour along all street façades of the monument should be maintained. Modern building materials such as aluminum cladding, glass bricks and any other synthetic tiles or materials should be discouraged for exterior finishes. Vernacular building materials such as mud may be used for vernacular houses.

   ii. Building materials like brick, stone and cement should be used non intrusive to the heritage character of the Protected Monument and its surroundings area.

6. **Color:**

   The exterior color should be of a neutral tone and in harmony with the Protected Monument such as buff sandstone colour, beige and other earthy colours which do not create a harsh contrast with the Protected Monument and its immediate surroundings.

7. **Other Regulations:**

   Proposal for construction of any large-scale public infrastructure project like Metro (underground or overhead), foot-over bridges, flyover, multi-level parking or any such project shall be subject to a detailed Heritage Impact Assessment report.

6.14 Visitor facilities and amenities:

Visitor facilities and amenities such as kioks, facility for differently-abled individuals such as ramps and visitor facilitation centres/information centres with braille facility should be considered as far as feasible.

CHAPTER VII

Site Specific Recommendations

7.1 Site Specific Recommendations:

i. No advertisements in the form of hoardings, bill-boards and posters should be permitted near the Protected Monument, especially on the boundaries of the monuments.

ii. Site may also have descriptive plaques based on authentic historical narrative. These should be provided in braille also.

iii. Use of Eco-Friendly vehicles for movement in the vicinity of the Protected Monument may be recommended.

iv. Construction of green buildings including best practices like rain water harvesting etc. may be encouraged to mitigate adverse impact on the monument due to vehicular emissions and vibrations.

v. All signage within the historic precinct should be compatible and harmonius with the special heritage character of the Protected Monument and its immediate surroundings.

vi. The installation of signages should not damage the historic fabric, nor diminish the historic character of the Protected Monument.

vii. LED or digital signs, plastic fibre glass or any other highly reflective synthetic material should not be used for signages in the vicinity of the Protected Monument or its immediate surrounding areas.

viii. Any measures taken by the local bodies for the safety and security of the general public in the flood prone zone may be permitted.

ix. All existing trees shall be protected in the Protected Area of the monument.

7.2 Other recommendations:

i. Extensive publicity programmes may be conducted to increase public awareness about the historical and architectural significance of the Monument.

ii. Any future master plan/development plan may show all Protected Monuments/Area and their Prohibited and Regulated Area.

iii. Provisions for differently abled persons should be provided as per prescribed standards.

iv. The area should be declared as Plastic and Polythene free zone.

v. Planting of more indigenous/ local canopy of trees along the boundary of Protected Monument should be encouraged to create a strong buffer against urbanisation.

vi. National Disaster Management Guidelines for Cultural Heritage Sites and Precincts may be referred at https://nidm.gov.in/PDF/pubs/NDMA/20.pdf.

vii. Manual detailing regulations for building height, architectural features, facade, recommended materials, and finishes to be prepared. This will serve as a reference for locals undertaking future construction activities, for plots within the Prohibited and Regulated Areas.

अनुलग्नक
ANNEXURES

अनुलग्नक- I
ANNEXURE - I

लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश की सर्वेक्षण योजना
Survey Plan of Lord Cornwallis Tomb, Ghazipur, Uttar Pradesh

अनुलग्नक- II
ANNEXURE - II

संस्मारक की अधिसूचना
NOTIFICATION OF THE MONUMENT

Original Notification

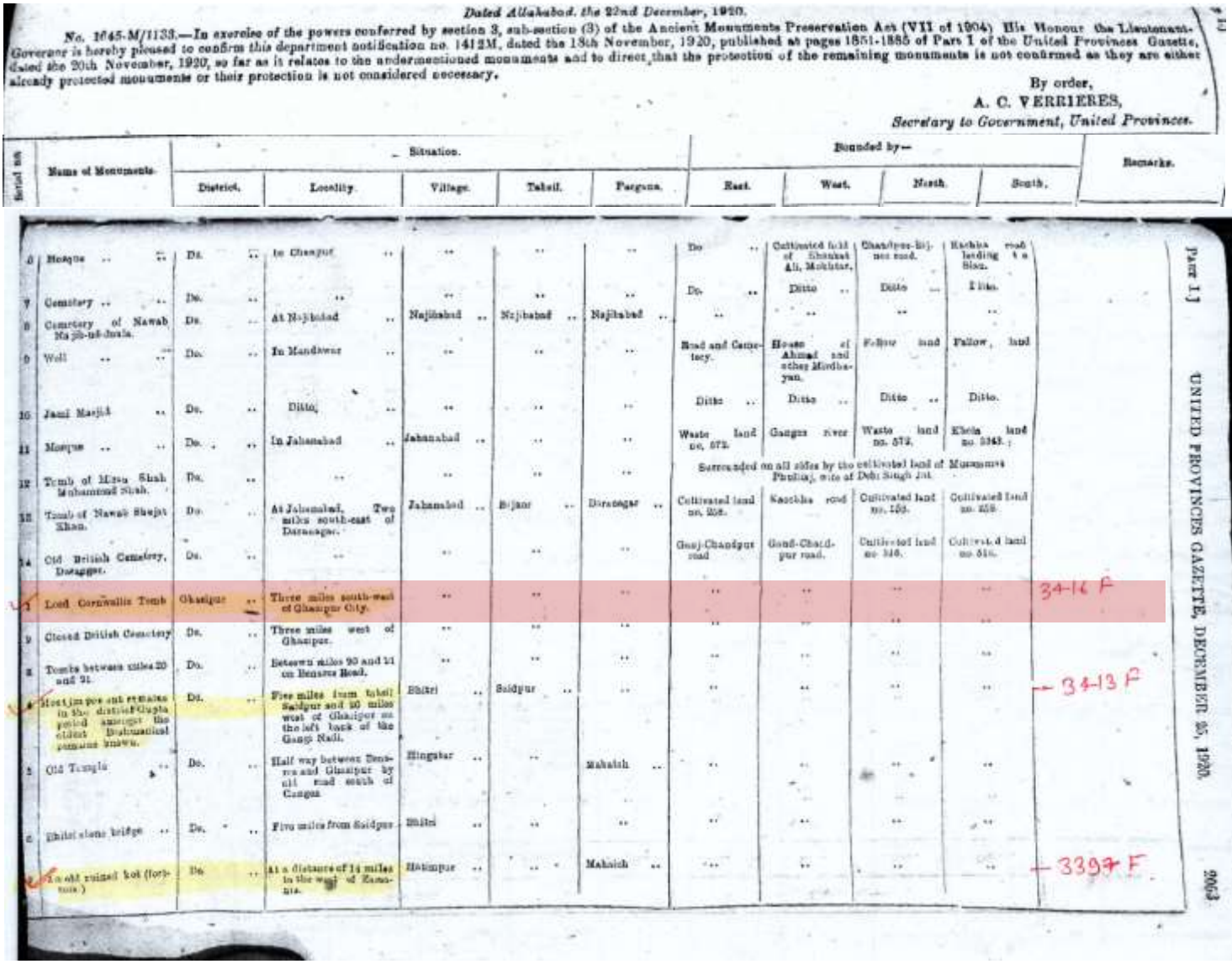

Dated Allahabad, the 22nd December, 1920.

No. 1645-*M*/1133.—In exercise of the powers conferred by section 3, sub-section (3) of the Ancient Monuments Preservation Act (VII of 1904) His Honour the Lieutenant-Governor is hereby pleased to confirm this department notification no. 1412M, dated the 18th November, 1920, published at pages 1851-1885 of Part I of the United Provinces Gazette, dated the 20th November, 1920, so far as it relates to the undermentioned monuments and to direct that the protection of the remaining monuments is not confirmed as they are either already protected monuments or their protection is not considered necessary.

By order,
A. C. VERRIERES,
Secretary to Government, United Provinces.

Serial no.	Name of Monuments	Situation					Bounded by—				Remarks
		District	Locality	Village	Tahsil	Pargana	East	West	North	South	
6	Mosque	Do. ..	In Chandpur ..	..	..	..	Do ..	Cultivated field of Shaukat Ali, Mokhtar,	Chandpur-Bijnor road.	Kachha road leading to Sion.	
7	Cemetery	Do. ..	..	..	..	..	Do. ..	Ditto ..	Ditto ..	Ditto.	
8	Cemetery of Nawab Najib-ud-daula.	Do. ..	At Najibabad ..	Najibabad ..	Najibabad ..	Najibabad ..	..	..	..	..	
9	Well	Do. ..	In Mandawar ..	..	..	..	Road and Cemetery.	House of Ahmad and other Mirdhayan.	Fallow land	Fallow, land	
10	Jami Masjid ..	Do. ..	Ditto ..	..	..	..	Ditto ..	Ditto ..	Ditto ..	Ditto.	
11	Mosque	Do. ..	In Jahanabad ..	Jahanabad ..	..	..	Waste land no. 572.	Ganges river	Waste land no. 572.	Khola land no. 5343.	
12	Tomb of Mirza Shah Muhammad Shah.	Do. ..	..	..	..	..	Surrounded on all sides by the cultivated land of Musammat Phulraj, wife of Debi Singh Jat.				
13	Tomb of Nawab Shujat Khan.	Do. ..	At Jahanabad, Two miles south-east of Daranagar.	Jahanabad ..	Bijnor ..	Daranagar ..	Cultivated land no. 258.	Kachha road	Cultivated land no. 159.	Cultivated land no. 259.	
14	Old British Cemetery, Daraggar.	Do. ..	..	..	..	..	Gaaj-Chandpur road	Gand-Chandpur road.	Cultivated land no. 546.	Cultivated land no. 546.	
1	Lord Cornwallis Tomb	Ghazipur ..	Three miles south-west of Ghazipur City.	..	..	..	..	..	..	..	34-16 F
2	Closed British Cemetery	Do. ..	Three miles west of Ghazipur.	..	..	..	..	..	..	..	
3	Tombs between miles 20 and 21.	Do. ..	Between miles 20 and 21 on Benares Road.	..	..	..	..	..	..	..	
4	Most important remains in the district Gupta period amongst the oldest Brahmanical remains known.	Do. ..	Five miles from tahsil Saidpur and 20 miles west of Ghazipur on the left bank of the Gangi Nadi.	Bhitri ..	Saidpur ..	..	..	..	..	..	34-13 F
5	Old Temple ..	Do. ..	Half way between Benares and Ghazipur by old road south of Ganges.	Hingatar ..	..	Mahaich ..	..	..	..	..	
6	Bhitri stone bridge ..	Do. ..	Five miles from Saidpur	Bhitri ..	..	..	..	..	..	..	
7	An old ruined kot (fortress.)	Do. ..	At a distance of 14 miles in the west of Zamania.	Hatimpur ..	..	Mahaich ..	..	..	..	..	3397 F

PART I.] UNITED PROVINCES GAZETTE, DECEMBER 25, 1920. 2063

Typed Copy of the Original Notification

Dated Allahabad, the 22nd December, 1920.

No. 1645-M/1133. – In exercise of the powers conferred by section 3, sub-section (3) of the Ancient Monuments Preservation Act (VII of 1904), His Honour the Lieutenant Governor is hereby pleased to conform this department notification no. 1412M, dated the 18th November, 1920, published at pages 1851-1885 of part I of the United Provinces gazette, dated the 20th November, 1920, so far as it relates to the under mentioned monuments and to direct that the protection of the remaining monuments is not confirmed as they are either already protected monuments or their protection is not considered necessary.

By order,

A.C. VERRIERES,

Secretary to Government, United Provinces.

Serial no.	Name of the monuments	Situation					Bounded By				Remarks
		District	Locality	Village	Tehsil	Pargana	East	West	North	South	
6	Mosque	Do.	In Chanpur	..	..	..	Do.	Cultivted field of Shaukat Ali Mukhtar	Chandpur-Bijnor road	Kachha road leading to Sian	
7	Cemetery	Do.	..	..	..	..	Do.	Ditto	Ditto	Ditto	
8	Cemetery of Nawab Najib-ud-daula	Do.	At Najibabad	Najibabad	Najibabad	Najibabad	..	..	..	..	
9	Well	Do.	In Mandawar	..	..	..	Road and Cemetery	House of Ahmad and other Mirdhayan	Fallow land	Fallow land	
10	Jami Masjid	Do.	Ditto	..	..	..	Ditto	Ditto	Ditto	Ditto	
11	Mosque	Do.	In Jahanabad	In Jahanabad	..	..	Waste land no. 572	Ganges river	Waste land no. 572	Khola land no. 3343	
12	Tomb of Misru Shah Muhammad Shah	Do.	..	..	..	..	Surrounded on all sides by the cultivated land of Musammat Phulliaj, wife of Debi Singh Jat				
13	Tomb of Nawab Shujat Khan	Do.	At Jahanabad. Two mles south-east of Daranagar	Jahanabad	Bijnor	Daranagar	Cultivated land no. 258	Kacchha road	Cultivated land no. 258	Cultivated land no. 258	
14	Old British Cemetery, Daranagar	Do.	..	..	..	..	Ganj-Chandpur road	Ganj-Chandpur road	Cultivated land no. 516	Cultivated land no. 516	
1	**Lord Cornwallis Tomb**	**Ghazipur**	**Three miles south-west of Ghazipur City**	**..**	**..**	**..**	**..**	**..**	**..**	**..**	
2	Closed British Cemetery	Do.	Three miles west of Ghazipur	..	..	..	..	..	..	..	

3	Tomb between miles20 and 21	Do.	Between miles 20 and 21 on Benaresroad	..	..	..	..	..	..	..	
4	Most important remains in the district Gupta period amongst the oldest Brahmanical remains known	Do.	Five miles from tehsil Saidpur and 20 miles west of Ghazipur on the left bank of the Gangi Nadi west of Ghazipur on the left bank of the Ghangi Nadi	Bhitri	Saidpur	..	..	..	..	..	
5	Old Temple	Do.	Half way between Benares and Ghazipur by old road south of Ganges	Hingutar	..	Mahaich	..	..	..	..	
6	Bhitri stone bridge	Do.	Five miles from Saidpur	Bhitri							
7	An old ruined kot(fortress)	Do.	At a distance of 14 miles to the west of Zamania	Hatimpur	Mahaich						

अनुलग्नक– III
ANNEXURE – III

गाजीपुर महायोजना 2001 मानचित्र
Ghazipur Master Plan Map 2001

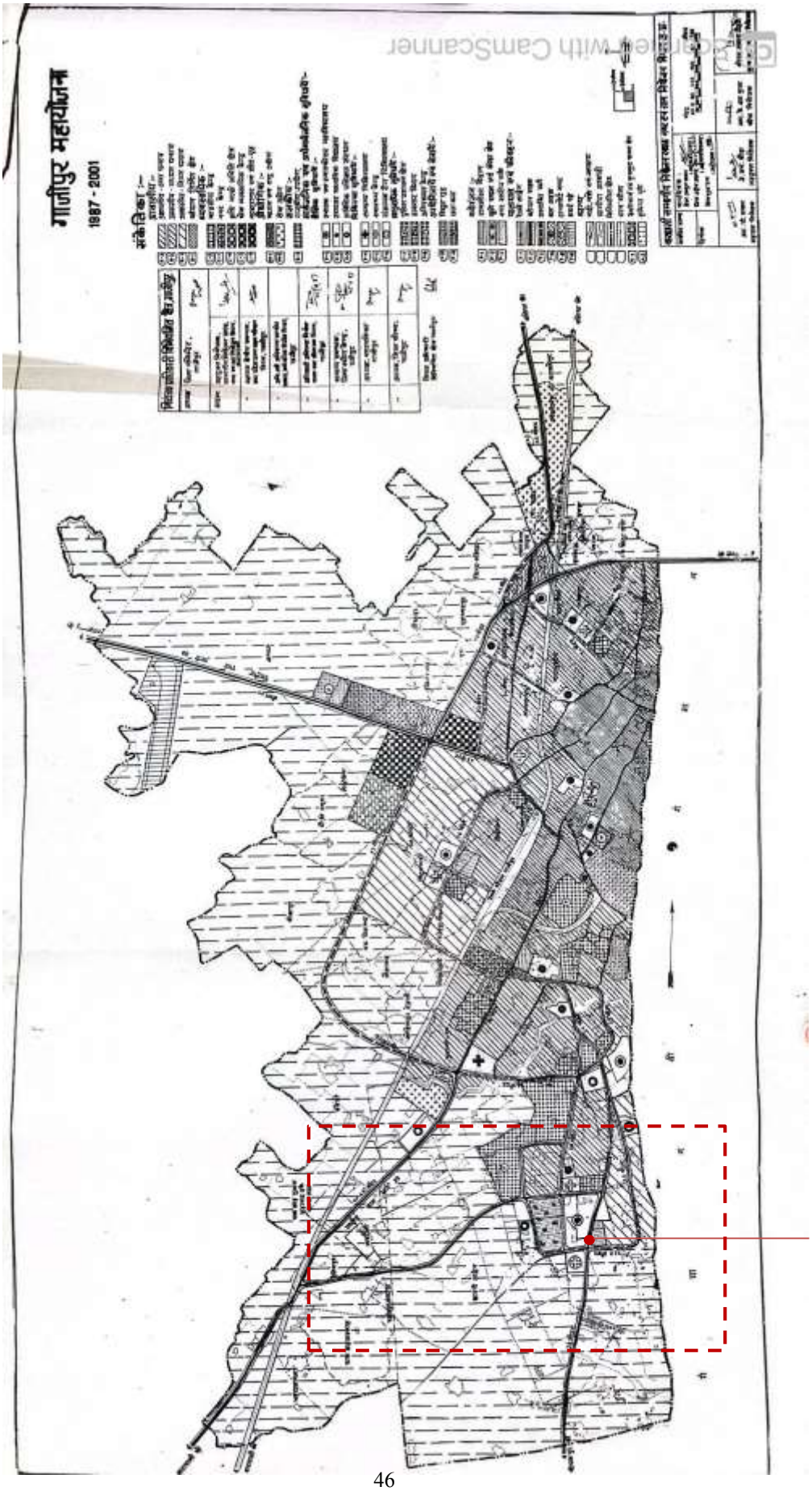

The enlarged section of Ghazipur Master Plan Map 2001 showing the Protected Monument and the landuse of the surrounding area

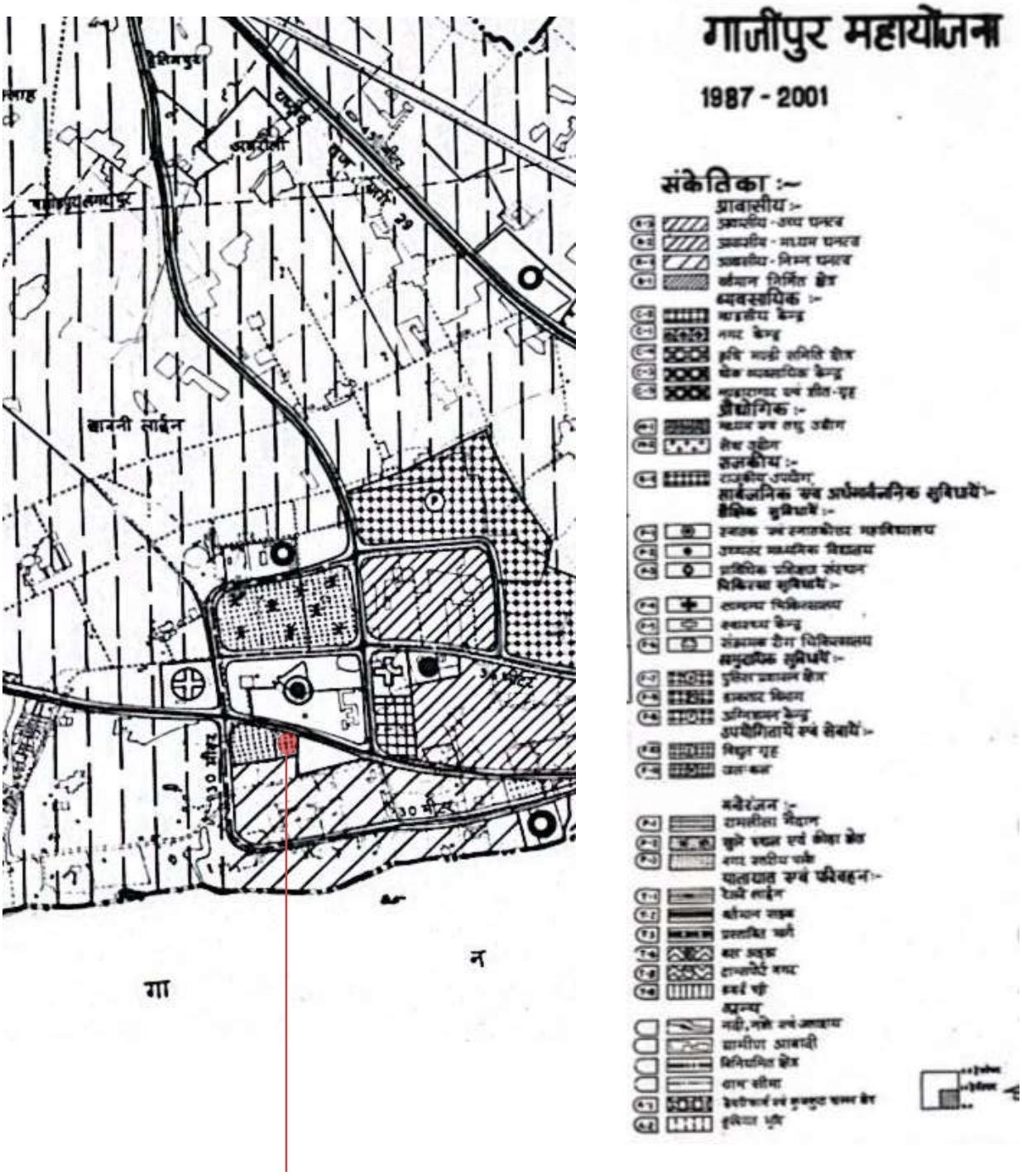

Lord Cornwallis

अनुलग्नक– IV
ANNEXURE – IV

संस्मारक – लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा और इसके आसपास के क्षेत्र के चित्र
Images of the Monument – Lord Cornwallis Tomb and its surrounding area

चित्र 1: लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा
Image1: Lord Cornwallis Tomb

चित्र 2: मकबरे के आसपास बाग
Image 2: The garden surrounding the tomb

चित्र 3: मकबरे के केंद्र में सफेद मार्बल पर अज्ञात सैनिक की यादगार
Image 3: White marble cenotaph in the centre of the tomb

चित्र 4: गुंबदी छत का आंतरिक दृश्य
Image 4: Interior view of the domed roof

चित्र 5: संस्मारक के संरक्षित क्षेत्र के परिसर में पेड
Image 5: Trees in the premises of the Monument's Protected Area

चित्र 6: मकबरे के समीप बैंचों के साथ पत्थर का रास्ता
Image 6: Stone paved pathway around the tomb with benches

चित्र 7: प्रवेशद्वार के समीप टिकट ब्लॉक
Image 7: Ticket block near the entrance gate

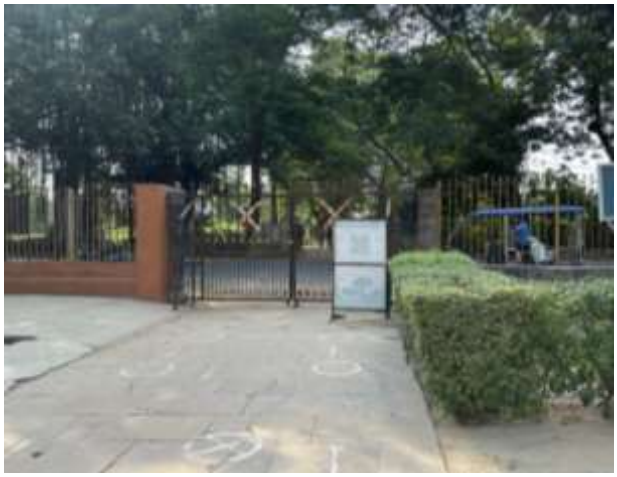

चित्र 8: संस्मारक का प्रवेशद्वार
Image 8: Entrance gate of the monument

चित्र 9: संस्मारक के प्रतिषिद्ध क्षेत्र में घोड़ा शहीद मर्द बाबा की दरगाह
Image 9: Dargah of Ghoda Shaheed Mard Baba in the Prohibited Area of the monument

चित्र 10: विनियमित क्षेत्र में जिला अस्पताल
Image 10: District Hospital in the Regulated Area

चित्र 11: गाजीपुर-चोचकपुर रोड
Image 11: Ghazipur-Chochakpur Road

चित्र 12: पी.जी. कालेज का परिसर
Image 12: Campus of P.G. College